खण्ड-454, अंक-2
बुधवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1927
(23 मार्च, 2005 ई0)

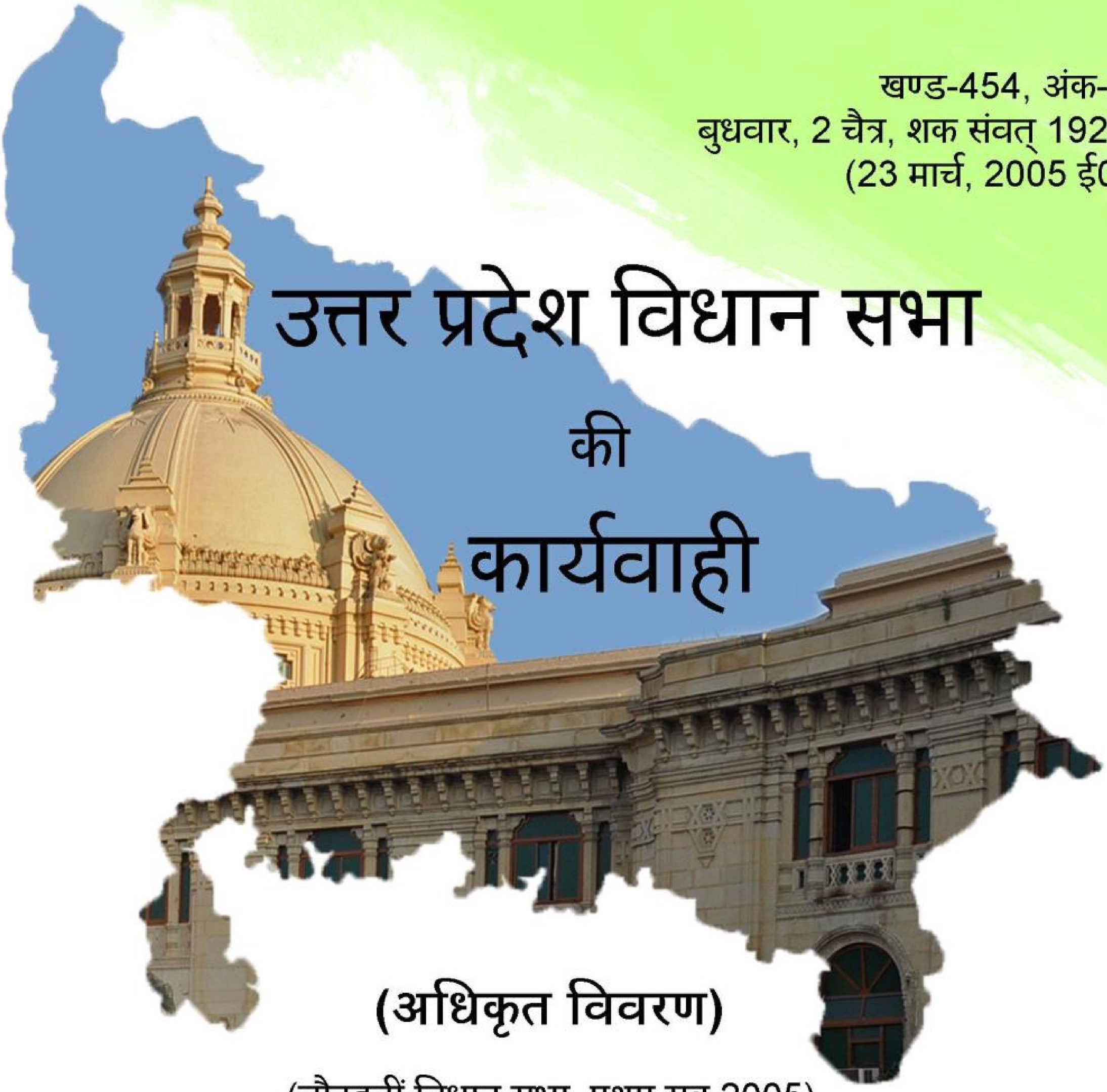

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 454 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	छ-ट
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	1-2
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमाशंकर तिवारी तथा श्री केवल सिंह के निधन पर शोकोद्गार	2
निधन सम्बन्धी सूचना विलम्ब से प्राप्त होने पर आपत्ति	2-3
प्रश्नोत्तर	3-18
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	18
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	18
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना	19
श्री ओ0पी0 भाटी, थानाध्यक्ष, बाह, आगरा एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	19-20
श्री गोरख सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध श्री लाल जी वर्मा द्वारा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	20-22
श्रीमती सुशीला, प्रधानाचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के विरुद्ध श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय...	22-24
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	24
कानपुर नगर के रमईपुर-मझावन-साढ़ मार्ग तथा भीतर गांव साद मार्ग के निर्माण कार्यों में कथित कदाचार की जांच टी0ए0सी0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
वाराणसी में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष योजना के पदों पर पूर्वकालिक अधिकारियों की तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
लखनऊ जनपद के सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26

विषय	पृष्ठ-संख्या
कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा कमालपुर ग्राम मजरा विहामिदपुर (देवीगंज) में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26
पीलीभीत वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न रेंजों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नवम्बर, 2001 से अब तक का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26-27
क्षेत्र पंचायत नगर जनपद बलिया में पंचायती राज एक्ट के अनुसार धन आहरण की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समूह पेयजल योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27-28
जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में गांवों में बनी आबादियों का सर्वे कर अधिग्रहण से मुक्त करके ही भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28
द्वितीय उ0प्र0 वेतन आयोग की संस्तुति पर सरकारी कर्मचारियों को निजी आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	28-29
जनपद बाराबंकी में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) की द्वितीय किश्त न जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर स्याना रोड से गांव मानकपुर तथा सलेमपुर आदि मार्गों पर विगत 10 वर्षों से मोटे पत्थर पड़े होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	29
श्री रामजी प्रसाद, दैनिक वेतन लिपिक, बलिया को न्यूनतम वेतन न्यायालय के आदेश के पश्चात न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30
प्रदेश के कृषकों को निजी नलकूप हेतु बिजली के कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद आजमगढ़ में 30 वर्ष पुरानी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30-31
जनपद देवरिया के तहसील रुद्रपुर अन्तर्गत ग्राम सभा वरडीहादल के पोखरों की जमीन अपात्र लोगों के नाम आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31

अग्रिम प्रकाशन

विषय	पृष्ठ-संख्या
पी0 जी0 आई0 लखनऊ में इलाज करा रहे हृदय रोगी श्री राम बदन यादव को धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	32
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद कानपुर नगर निगम के स्थायी एवं अस्थायी हजारों कर्मचारियों को लगभग 9 माह का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-8 चौराहे व उससे जुड़ी हजारों सड़कों को हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
अभिसूचना विभाग में रिक्त 436 मुख्य आरक्षी के पदों पर विभाग के आरक्षियों की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33-34
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय घाटों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज-सांगीपुर तक के 12 कि0मी0 लम्बे मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
वाराणसी के चौक थाना क्षेत्रान्तर्गत सुड़िया, मोती कटरा तथा ठठेरी बाजार में अवैध चांदी की रिफाइनरियों को जनहित में बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
गोण्डा में बालपुर व कौडिया बाजार को नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत पिपरा गौतम से कटुसआ तक के अधूरे मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बालक राम नि0 नगलाउरी कुचेला मैनपुरी का फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को वर्ष 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
लखनऊ अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील कालोनी निवासी बाबू लाल निर्वाण की सी0बी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण का कोई भी सामान अध्यासियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री हुकुम सिंह तथा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी आदि सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन	39
माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन	39
प्रदेश में विभिन्न विभागों के समूह 'ग' एवं 'घ' की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने उत्पादित धन से अधिक धान क्रय, बी0पी0एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों, शिक्षकों की भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन	39-40
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	40-42
दल-बदल कानून के अन्तर्गत लखनऊ में दायर एक रिट याचिका संख्या-5085 (एम0बी0)/2003 स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम स्पीकर विधान सभा यू0 पी0 एण्ड अदर्स में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के प्रतिपक्षियों पर नोटिस की तामीली विषयक सूचना	42-43
ग्राम रामगढ़ तहसील व परगना अमेठी जनपद सुल्तानपुर में ग्राम समाज की 30 बीघे जमीन को भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	43-45

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान श्री नन्द सिंह चौहान की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	45-46
सदन संचालन मे सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद एवं होली की बधाई	46-60
एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थित रहने किन्तु कार्यवाही में भाग न लेने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	60-63
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	63
राष्ट्रगान	63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2005

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-285

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच

दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर

बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शर्फ़ीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजया यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर यादव, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा"	ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समरपाल सिंह, श्री	बागपत	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सर्वेश कुमार उर्फ	मुरादाबाद	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
राकेश कुमार, कुं0		सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सूरज सिंह यादव, श्री	एटा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर		

नोट :- उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम आसरे विश्वकर्मा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सबसे पहले मैं मद सं0-7 ले लेता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2005 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :-

1-दिनांक 23 मार्च, 2005 को नियम-300, 311 एवं नियम-56 की सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 29 मार्च, 2005 को सदन का उपवेशन न हो।

3-दिनांक 23 मार्च, 2005 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जाय :-

मार्च, 2005

23 बुधवार

1-निधन के निर्देश।

2-"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री शिवचरण प्रजापति, चौधरी धूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशीलाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा स्वीकृत सूचनाओं पर चर्चा-एक घन्टा।

3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाय।"

4-श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत स्वीकृत एक घन्टे की चर्चा :-

"प्रदेश में विभिन्न विभागों में समूह 'ग' एवं 'घ' की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने, उत्पादित धान से अधिक धान क्रय, बी0पी0एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों तथा शिक्षकों की भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में।"

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी थी .....

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया बैठ जायें।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमाशंकर तिवारी तथा श्री केवल सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमाशंकर तिवारी का 16 मई, 1975 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री उमाशंकर तिवारी का जन्म 07 जुलाई, 1910 को ग्राम सरने, तत्कालीन जिला वाराणसी में हुआ था। श्री उमाशंकर तिवारी सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र चन्दौली (दक्षिण-पश्चिम) रामनगर, तत्कालीन जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र मुगलसराय, जिला वाराणसी से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मुगलसराय, जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री उमाशंकर तिवारी एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। वे नोटिफाइड एरिया कमेटी, मुगलसराय के अध्यक्ष रहे थे। श्री उमाशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री केवल सिंह का 20 दिसम्बर, 1997 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री केवल सिंह का जन्म 3 दिसम्बर, 1907 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री केवल सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र सिकन्दराबाद (पूर्व), जिला बुलन्दशहर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री केवल सिंह एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा वर्ष 1941-42 के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण कैद की सजा पायी तथा नजरबन्द भी रहे। श्री केवल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल रानीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन के सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

निधन सम्बन्धी सूचना विलम्ब से प्राप्त होने पर आपत्ति

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, 30 साल के बाद सदन को सूचना दी गयी है, अब तक तो दिवंगत आत्मा का पुनर्जन्म भी हो चुका होगा। तीस-तीस साल के बाद सूचना दी जायेगी, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी, उस जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए तो वह भी अब वहीं पहुंच गये होंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह गम्भीर घटना है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत हूं। इससे संबंधित जिलाधिकारी और अधिकारियों का जवाब तलब करिये।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत यह तय हुआ था कि आज के सारे प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बाल किशोर सुधार गृहों के पुनर्गठन का निर्णय

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्र की सहायता से चलने वाले प्रदेश के बाल एवं किशोर सुधार गृहों को बन्द करने अथवा उनके पुनर्गठन का कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

गृहों के पुनर्गठन का आदेश दिनांक 11-2-2004 को जारी किया गया परन्तु इन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसकी आंशिक प्रतिपूर्ति व्यय उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

विभाग द्वारा संचालित गृहों में संवासियों को गुणात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने, गृहों का सुदृढिकरण एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा अनुत्पादक एवं निष्फल व्यय को रोकने के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम के अर्धीन संचालित संस्थाओं का पुनर्गठन कर आवश्यकता के आधार पर इनकी संख्या 47 करने का निर्णय सम्यक् विचारोपरान्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्राविधानों के तहत लिया गया।

लखनऊ में प्रयोग की गयी डिस्पोजेबल सिरिंज पुनः पैक कर बेचे जाने के प्रकरण की जांच की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रयोग की गयी डिस्पोजेबल सिरिंज पुनः पैक करके नई सिरिंजों के मूल्य पर बेची जा रही हैं ? क्या यह भी सही है कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इस प्रकार की सिरिंज बरामद हुई हैं ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि भविष्य में इस्तेमाल की गयी डिस्पोजेबेल सिरिंज बाजार में न बिकने पाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय

*3-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 30-6-2004 को ही किया जा चुका है जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2172/26-3-04-4(134)/04, दिनांक 16-8-2004 के अन्तर्गत जारी है एवं तद्नुसार उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है।

इस योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रु0 19,884 (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रु0 25,546 (शहरी क्षेत्र) हो, के छात्र/छात्राओं को जो पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं की भांति छात्र वृत्ति की सुविधा उन्हीं अनुमन्य एवं दरों एवं शर्तों पर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के सवर्ण निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का मानक

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सवर्ण निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार इन बच्चों को किताबें भी मुफ्त उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शासनादेश संख्या 2172/26-3-2004-4(134)/04, दिनांक 16-8-2004 द्वारा सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रु0 19,884 (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रु0 25,546 (शहरी क्षेत्र) हो, के छात्र/छात्राओं को जो पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं की भांति केवल छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं अनुमन्य दरों एवं शर्तों पर दिये जाने का प्राविधान है।

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 के सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को मुफ्त किताबें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

अन्य छात्रों को मुफ्त किताबों के वितरण की नीति फिलहाल नहीं है।

*5-श्री रामकरण आर्य-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

झांसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोछाभावंर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने की मांग

1-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोछाभावंर के अन्तर्गत भूमि सं0-1472, 1473 कुल रकबा, 1.779 हेक्टेयर पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

ग्राम कोछाभावंर के भूखण्ड संख्या-1472, 1473 पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रकरण फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में बी0पी0एल0 अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा कार्ड धारकों की संख्या

2-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में बी0पी0एल0 अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा कार्ड धारक कितने हैं ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुं0 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया")-

बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में स्थित विकास खण्डवार बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा कार्ड धारकों की संख्या निम्नवत् है :-

विकास खण्ड	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा
चिलकहर	10158	4428	326
नगरा	6130	2741	213
पन्दह	6549	2957	218
योग	22837	10126	757

जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्यरत पैरा मेडिकल कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्यरत पैरा मेडिकल कर्मचारियों के स्थानान्तरण माह दिसम्बर, 2004 में किये गये थे ? क्या सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

स्थानान्तरित किये गये कर्मियों में से श्री अजय कुमार शर्मा, फार्मासिस्ट को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 30-8-2004 द्वारा कार्यहित में सचिवालय डिस्पेंसरी से सम्बद्ध किया गया था जिसके कारण उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के आदेशों के अनुपालन में नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। श्री शर्मा की सम्बद्धता दिनांक 22-3-2005 को समाप्त कर दी गयी है।

सम्बद्धता समाप्त किये जाने के आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज की ग्राम सभा जखैला में सरकारी राशन की दुकान के कोटे दार द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

4-श्री कौशल किशोर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जखैला विकास खण्ड व तहसील हसनगंज, जनपद-उन्नाव में सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार द्वारा की गयी अनियमितताओं राशन गबन, कालाबाजारी एवं मिट्टी तेल को अधिक दर पर वितरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-12-2004 के साथ ग्रामवासियों/कार्डधारकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 21-12-2004 संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'-

प्रश्नगत सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 20-12-2004 एवं उसके साथ संलग्न ग्रामवासियों/कार्डधारकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 15-12-2004 प्राप्त हुआ है।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी। अनियमितता पाये जाने पर उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध-पत्र तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विक्रेता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के चितबड़ा गांव नगर पंचायत में राशन कार्ड धारकों एवं सस्ते गल्ले की दुकानों का विवरण एवं इनके आवंटन की जानकारी

5-श्री होशियार सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-जनपद के चितबड़ा गांव नगर पंचायत में कुल कितने राशन कार्ड हैं, कुल कितने यूनिट हैं, यूनिट के अनुसार वर्तमान समय में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं ? क्या उन दुकानों का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'-

बलिया जनपद के चितबड़ा गांव नगर पंचायत में कुल 4224 राशन कार्ड, 21120 यूनिट एवं पांच सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं।

दुकानों की नियुक्ति के समय तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्समय उचित दर दुकानें निर्धारित वरीयता क्रम में नियुक्त/आवंटित की जाती थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाओं के सैम्पल पर सील लगाने की मांग

6-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाइयों के जो सैम्पल एकत्र किये जाते हैं, उन पर कोई सील नहीं लगायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने हेतु दवाइयों के लिए गये सैम्पलों पर सील लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

औषधि निरीक्षकों द्वारा जांच हेतु एकत्रित दवाओं के समस्त सैम्पल पर नियमानुसार सील लगायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औषधि निरीक्षकों द्वारा सैम्पलों को लैब में जांच की व्यवस्था

7-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गये सैम्पलों को लैब में जांच कराने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या लिए गये सभी सैम्पलों की जांच हो पाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ एवं केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला, कोलकाता। राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिकतम नमूनों के विश्लेषण का प्रयास किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला, कोलकाता से भी औषधि नमूनों का विश्लेषण कराया जाता है।

प्राप्त समस्त सैम्पलों की जांच हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान

8-श्री राम करन आर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'-

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जलपान गृहों के कर्मचारियों को वेतन भत्तों पर होने वाले व्यय को शासन द्वारा अनुदान देकर वहन किया जाता है क्योंकि निगम के जलपान गृह बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर संचालित होते हैं। इस प्रकार निगम के जलपान गृह कर्मचारियों एवं इससे संबंधित वर्ष 1988 से पूर्व सृजित मुख्यालय पद धारकों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

कल्याण निगम द्वारा संचालित डिपो के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभांश से किया जाता है। अतः जो डिपो अपेक्षित मात्रा में लाभ अर्जित कर रहे हैं उन डिपो पर तैनात कर्मचारी नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो डिपो हानि पर चल रहे हैं वहां पर तैनात कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह नहीं हो पा रहा है।

जनपद झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को आवंटित धनराशि का विवरण

9-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र झांसी में 2003-2004 में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि शासन से आवंटित की गयी और आवंटित धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी को अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है :-

क्र0सं0	मद का नाम	आयोजनागत/	आयोजनेत्तर
1	वेतन भत्ते आदि हेतु		4,1462,000/
2	यूजर चार्जेज		1,64,44,000/
3	उपकरणों/संयंत्रों के क्रय हेतु	2.18,00,00/	

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में उपरोक्त मदों में से स्वीकृत/आवंटित धनराशि को उन्हीं मदों में व्यय किया गया है जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने की मांग

10-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद-देवरिया से स्थानान्तरित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय ने रिट सं0-2234/05 में दि0 29-01-2005 को आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-2234/05 सुदामा सिंह बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 में आदेश दिनाक 29-1-2005 को नहीं बल्कि दिनांक 19-01-2005 को पारित किया गया है, जिसमें स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम पंचायत कीरतपुर चरुहार में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण की जानकारी

11-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम पंचायत कीरतपुर चरुहार में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण हेतु प्रस्तावित स्थल पर मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम कीरतपुर चरुहार में मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र किराये के भवन में संचालित है। भवन निर्माण आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चिकित्सालयों में प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के स्थानान्तरण कराये जाने की मांग

12-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में कार्यरत प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) जो आठ-दस वर्षों से एक ही जनपद एवं एक ही चिकित्सालय में कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण अन्य जनपद में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, यदि जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में कार्यरत प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आयेंगे तब उनका स्थानान्तरण आगामी स्थानान्तरण सत्र में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ चिकित्सालयों के चीफ फार्मेसिस्ट एवं फार्मेसिस्ट के स्थानान्तरण की मांग

13-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-लखनऊ के चिकित्सालयों में कार्यरत चीफ फार्मेसिस्ट एवं फार्मेसिस्ट जो एक ही चिकित्सालय में 20-25 वर्षों से कार्यरत हैं, का क्या स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में कार्यरत चीफ फार्मेसिस्ट एवं फार्मेसिस्ट का स्थानान्तरण आगामी स्थानान्तरण सत्र में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के नेत्र सहायक श्री महमूद अहमद खा का स्थानान्तरण

14-श्री चन्द्र किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारियों को मण्डल/जिले से बाहर स्थानान्तरण करने का आदेश दिया गया है ? क्या नेत्र सहायक महमूद अहमद खां, महराजगंज में 20 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त नेत्र सहायक का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हां।

श्री खां, का स्थानान्तरण जनपद सिद्धार्थनगर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम भवन का निर्माण किये जाने की मांग

15-श्री चन्द्र किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या जिला अस्पतालों में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है ? क्या महाराजगंज के जिला अस्पताल में वर्तमान में पोस्टमार्टम की सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार महाराजगंज के जिले में पोस्टमार्टम हाऊस बनाकर पोस्टमार्टम की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कुछ नवसृजित जनपदों को छोड़कर अन्य जिला चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय महाराजगंज का भवन निर्माणाधीन है। निर्माण पूर्ण होने पर शव विच्छेदन गृह की व्यवस्था भी होगी।

जी हां।

जिला चिकित्सालय भवन निर्माण पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम पंचायत करदह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकान के सेल्समैन श्री मनोज जायसवाल के विरुद्ध कार्यवाही

16-श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-कुशीनगर के विकास खण्ड-खड्डा अन्तर्गत ग्राम पंचायत करदह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकान के सेल्समैन श्री मनोज जायसवाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच दिसम्बर, 04 में जिलापूर्ति विभाग द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सेल्समैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राज़ा भइया'-

जी हां।

पाई गई अनियमितताओं के दृष्टिगत किसान सेवा सहकारी समिति लि0 करदह उचित दर की दुकान ग्राम सभा करदह, विकास खण्ड का अनुबन्ध-पत्र तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। संबंधित सेल्समैन को वितरण कार्य से हटा दिया गया है। अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सेल्समैन के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही के निदेश जिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी, कुशीनगर को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक (फार्मेसिस्ट) के पदों पर भर्ती की अर्हता रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति से भरे जाने की मांग

17-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक (फार्मेसिस्ट) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा प्राइवेट डाक्टर के साथ 3 साल के कार्य का अनुभव या दो साल का फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग में कई वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो उक्त निर्धारित अर्हता के साथ-साथ अपने उक्त कार्यों के अतिरिक्त फार्मेसिस्ट का भी कार्य कर रहे हैं, को होम्योपैथिक (फार्मेसिस्ट) के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

उ0 प्र0 होम्योपैथिक भेषजिक सेवा नियमावली, 1991 में भेषजिक पद हेतु शैक्षिक अर्हता, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा स्वीकार्य की हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुरक्षित संस्था में एक वर्ष का होम्यो0 कम्पाउन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में होम्यो0 कम्पाउन्डर का या दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो या होम्यो0 चिकित्सा परिषद् द्वारा समुचित रूप से निबन्धित मेडीकल प्रैक्टिशनर के अधीन होम्यो0 कम्पाउन्डर का तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भेषजिक सेवा नियमावली, 1991 में फार्मेसिस्ट के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद गाजीपुर में जिला चिकित्सालय में 300 शैय्या वाले चिकित्सालय का निर्माण कराने की मांग

18-श्री मोख्तार अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय गाजीपुर में 300 शैय्या का चिकित्सालय बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है ? क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय के बनाये जाने हेतु जिला चिकित्सालय के पास 20 बीघा भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो कब तक उक्त 300 शैय्या चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। पुराने भवनों का सुदृढ़ीकरण/विस्तारीकरण कर 250 शैय्या के चिकित्सालय बनाये जाने का प्रस्ताव था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

300 शैय्या के चिकित्सालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु विश्व बैंक सहायतित उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना द्वारा जिला चिकित्सालय के पुराने भवनों का सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण कर 250 शैय्या के चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव था जिस पर विश्व बैंक द्वारा अनापत्ति नहीं दी गयी।

जनपद सिद्धार्थनगर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के पद पर कार्यरत डा0 विनोद कुमार त्रिपाठी का स्थानान्तरण

19-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के पद पर डा0 विनोद कुमार त्रिपाठी (राजपत्रित अधिकारी) अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें किसी अन्य जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'-

डा0 विनोद कुमार त्रिपाठी की सेवा पुस्तिका में उनका गृह जनपद बस्ती अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिकीय वर्ग के पद पर पदोन्नति की मांग

20-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति दिये जाने का कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार

होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो वांछित शैक्षिक अर्हता रखते हैं, को तृतीय श्रेणी के लिपिकीय वर्ग के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'-

जी हां।

जी हां। पदों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांगों एवं युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज व पुनर्वास के सम्बन्ध में पत्र

21-श्री प्रेम सिंह-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगों एवं युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज व पुनर्वास के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी द्वारा सचिव, विकलांग कल्याण को प्रेषित पत्र संख्या-874/वी0आई0पी0/रा0म0/वि0क0/2004, दिनांक 26-7-2004 पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

विकलांग जनों एवं युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज व पुनर्वास हेतु प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या-874/वी0आई0पी0/रा0मं0/वि0क0/2004, दिनांक 26-7-2004 प्राप्त न होना प्रतीत होता है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की मांग

22-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में आश्रम पद्धति विद्यालय स्वीकृत हुआ है ? क्या विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम गौरा में जमीन प्रस्तावित है तथा इस हेतु धन भी आवंटित है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा ग्राम गौरा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हेतु 3.5 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी है। विद्यालय के निर्माण हेतु धनराशि उपर्युक्तानुसार स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्ष 2005-06 में आजमगढ़ जनपद को छोड़कर मण्डल मुख्यालयों पर राजकीय आश्रम पद्धति (बालक) विद्यालय का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद स्तर पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिये जाने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थायी रूप से निवास कर रहे गोंड, धरिया, नायक, ओझा आदि को अनुसूचित जाति/जनजाति की मिलने वाली सुविधाओं के

सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/322386, दिनांक 29-10-04 आयुक्त, समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रकरण में जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[5वें मंगल के अता0 प्र0 सं0-1 पर स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र में श्यामा देवी ए0 एन0 एम0 की नियुक्ति का प्रकरण

25-श्री रामकरन आर्य-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा देवी ए0 एन0 एम0 पद पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर में संविदा पर तैनात हैं तथा उक्त पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा दिये गये विज्ञापन सं0 प0 का0/15/एम0पी0डब्लू0 भर्ती 2001 दिनांक 10-11-01 के सापेक्ष महानिदेशक परिवार कल्याण लखनऊ के पत्रांक प0क0/15/एम0-पी0/डब्लू0 गो0 प्रको/38/2001 दिनांक 25-9-02 के अनुसार कन्ट्रोल नं0 एफ/4/2472 के अनुसार दिनांक 23-1-02 को मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पद पर स्थायी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

श्रीमती श्यामा देवी द्वारा दिनांक 23-10-2002 को परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा दिये गये विज्ञापन के सापेक्ष्य अपने मूल अभिलेखों सहित सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया गया है।

श्रीमती श्यामा देवी सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी है और वर्तमान में उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) संवर्ग में सामान्य श्रेणी में कोई पद रिक्त न होने के कारण उनका चयन/नियुक्ति वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है। सामान्य श्रेणी में पद रिक्त होने पर बैचवार/ज्येष्ठता क्रम में चयन/नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मानकों के अनुरूप कर्मचारियों एवं औषधि उपलब्ध कराने की मांग

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्ष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सभी स्थानों पर चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी तथा

आवश्यकतानुसार मानकों के अनुरूप औषधि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मानकों के अनुरूप उपरोक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 11 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिनमें से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फैनहा में पद सृजित नहीं है। उक्त 10 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्साधिकारी के 05, फार्मासिस्ट का 01, स्टाफ नर्स का 01 एवं चतुर्थ श्रेणी का 01 पद रिक्त है, अन्य पदों पर चिकित्साधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं तथा आवश्यकतानुसार मानकों के अनुरूप उक्त चिकित्सालयों को औषधियां उपलब्ध करायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पदों पर तैनाती की व्यवस्था कर्मियों की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र की जायेगी।

जनपद गाजियाबाद के प्राथमिक स्वा0 केन्द्र मोदीनगर को उच्चीकृत करने पर विचार

27-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित प्राथमिक स्वा0 केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति का विचाराधीन प्रकरण

28-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में दिनांक 19-2-2004 से जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां। किन्तु प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी तैनात हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के कुल स्वीकृत 44 पदों में से 20 पद भरे हुए हैं। शेष पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के बाल विकास परियोजना अधिकारी सरोजनी नगर द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं पर वसूली की कार्यवाही

29-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की विभागीय सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन 1993-94

से मार्च, 1998 तक की रिपोर्ट में दोषी पाते हुए उनसे विभिन्न मद का रु0 1,15,077.00 की तत्कालीन सी0डी0पी0ओ0 से रिकवरी किए जाने हेतु अपर निदेशक (वित्त) निदेशालय बाल विकास का पत्रांक 3337-38 आडिट/2003-04 दिनांक 19 अगस्त, 2003 को कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां, लेकिन संदर्भगत समसंख्यक पत्र दिनांक 28-8-2003 का है।

जी नहीं। वसूली की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के ब्लाक मलिहाबाद के ग्राम हरिहरपुर में अनुसूचित जाति के श्री राम लाल पुत्र मैकू की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की जानकारी

30-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 10 जनवरी, 05 को जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ में जि0स0 कल्याण अधि0 लखनऊ की मौजूदगी में हुई बैठक में निर्णय के तहत दिनांक 17-01-05 को रामपाल पुत्र श्री मैकू अनुसूचित जाति तेरवा ब्लाक-मलिहाबाद (6) आदि व धर्म पुत्र रतनू पासी, गांव हरिहरपुर ब्लाक की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिलाने विषयक पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा जि0स0क0अधि0, लखनऊ को लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त बैठक के निर्णय के तहत अनुदान दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मेरे द्वारा भेजे गये पत्रों में पुत्रियों की शादी का अनुदान कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत लाभार्थियों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों एवं चिकित्सक की सम्बद्धता समाप्त करने की मांग

31-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या-निदेशक (सी)/2004/2999 दिनांक 25-6-04 द्वारा चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं ? क्या यह सही है कि जनपद-हरदोई के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर अभी भी अनेक कर्मचारी एवं चिकित्सक सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सम्बद्धता समाप्त कर उनकी मूल तैनाती के स्थान पर वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद हरदोई के किसी भी सामुदायिक केन्द्र पर कोई चिकित्सक तथा कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पैरामेडिकल कौन्सिल की स्थापना तथा बेचलर आफ फिजियोथिरेपी को मान्यता दिये जाने की मांग

32-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश पैरामेडिकल कौन्सिल स्थापित करने तथा बेचलर आफ फिजियोथिरेपी को मान्यता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासन द्वारा प्रदेश में पैरामेडिकल कौन्सिल स्थापित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। बेचलर आफ फिजियोथिरेपी एवं अन्य स्नातक स्तर के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ में खाद्य पदार्थों के नमूने जांचने वाली लैब में नमूनों की कोडिंग के कार्य सम्बन्धी जानकारी

33-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मेरठ में खाद्य पदार्थों के नमूने जांचने वाली लैब में जांच करने वाला व्यक्ति ही नमूनों पर कोडिंग भी कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नमूनों पर कोडिंग कराने का कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनविश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ में खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण एवं कोडिंग कार्य अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में पति/पत्नी दोनों द्वारा आवासीय भत्ता लिए जाने को रोकने की मांग

34-श्री राजपाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के चार कर्मचारियों को पत्र संख्या सी-1330/1-19/98-99/शोपस दिनांक 13-1-2000 के क्रम में आवासीय भत्ता रोका गया था ? क्या उनमें से तीन

कर्मचारियों को आवासीय भत्ता दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उनके पति/पत्नी अपने विभाग से आवासीय भत्ता ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों के आवासीय भत्ता को रोकने तथा पूर्व में उन्हें भुगतान की गई धनराशि की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

जिन तीन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है उनमें से श्रीमती शीला देवी, वैयक्तिक सहायक तथा श्रीमती अनिता शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व के आवास के कर के भुगतान की उत्तरदायी है तथा श्री रज्जू प्रसाद, संगणक किराये के मकान में निवास करते हैं। इन तीनों कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 28-04-2000 में की गयी व्यवस्थानुसार उन्हें देय मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय, की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार हनन की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :-

1-राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओ0 पी0 भाटी, थानाध्यक्ष-बाह, आगरा एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 25 जून, 2004

2-श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गोरखसिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 28 जुलाई, 2004

3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती सुशीला, प्रधानाचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 03 अगस्त, 2004

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राहय कर दी गयी हैं।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन के आज दिनांक 23 मार्च, 2005 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

श्री ओ0 पी0 भाटी, थानाध्यक्ष, बाह, आगरा एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[माननीय राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 25 जून, 2004 को अभिसूचित की थी।

माननीय राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अपनी उक्त सूचना में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 24 जून, 2004 को सायंकाल 7.00 बजे श्री ओ0 पी0 भाटी, थानाध्यक्ष-बाह, आगरा अपने सहयोगी इन्सपेक्टर्स व लगभग 18 पुलिस कर्मियों के साथ उनके आगरा स्थित निवास, भदावर हाउस में घुस आये और घर को चारों तरफ से घेर लिया और श्री ओ0 पी0 भाटी, थानाध्यक्ष-बाह ने माननीय सदस्य से कहा कि श्री सोबरन सिंह को एस0 एस0 पी0 आगरा ने बुलाया है। माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि वे बिना उनकी अनुमति के इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर उनके निवास में कैसे घुसे, श्री भाटी यही कहते रहे कि श्री सोबरन सिंह को एस0 एस0 पी0, आगरा ने बुलाया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि यह घटना दूसरे दिन, अर्थात 25 जून, 2004 को "अमर उजाला" एवं "दैनिक जागरण" के आगरा संस्करण में प्रकाशित हुयी। इस घटना से उनके व उनके परिवार के सदस्यों के सम्मान को अत्यन्त ठेस पहुंची है। माननीय सदस्य ने उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। माननीय मुख्य मंत्री की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 10 फरवरी, 2005 के पत्र के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा से प्राप्त आख्या के अनुसार यह अवगत कराया है कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना-बाह, श्री ओ0 पी0 सिंह भाटी को दिनांक 24 जून, 2004 को यह सूचना प्राप्त हुयी कि मु0 अ0 सं0-123/04 धारा 364/506 भा0द0वि0 थाना-बाह एवं मु0अ0सं0-39/04 धारा 147/148/149/326/307 भा0द0वि0, धारा 135 क व 174 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा धारा 3(1) 10 अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, थाना-खेड़ा राठौर में वांछित अभियुक्त, श्री सोबरन सिंह भदौरिया, भदावर हाउस के पास एक क्लीनिक पर मौजूद है। अतएव, उनके द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना-खेड़ा राठौर, श्री मयूर अली, तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना-बासौनी, श्री स्वतंत्र कुमार यादव एवं उपनिरीक्षक, श्री एस0 एस0 दोहरे, थाना-जैतपुर को उनके हमराह पुलिस बल सहित सायं लगभग 6-7 बजे के मध्य संभावित स्थान पर दबिश दी गयी। पुलिस का आभास पाकर अभियुक्त सोबरन सिंह भाग कर श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह, माननीय विधायक, बाह क्षेत्र के निवास स्थल भदावर हाउस में प्रवेश कर गया। पुलिस अधिकारीगण अभियुक्त का पीछा करते हुये माननीय विधायक के निवास में बरामदे तक पहुंचे, जहां माननीय विधायक से प्रभारी निरीक्षक श्री ओ0 पी0 भाटी की कुछ बातचीत हुयी, उसके उपरान्त चारों अधिकारी वापस चले गये। यद्यपि माननीय विधायक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, जिससे उनके मानवाधिकारों का हनन हुआ हो, फिर भी उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लाये एवं बिना अनुमति के माननीय विधायक के निवास में प्रवेश उनकी अविवेकपूर्ण एवं स्वेच्छाचारिता की कार्यवाही का द्योतक पाते हुये उक्त चारों पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली पर कड़ी चेतावनी प्रदान कर दी गयी है। इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

माननीय सदस्य की प्रश्नगत सूचना में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की मांग की गयी थी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री से प्राप्त आख्या में यह सूचित किया गया है कि उक्त चारों पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों में कड़ी चेतावना प्रदान कर दी गयी है।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना में उल्लिखित तथ्यों एवं उनके विषय में शासन से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है। इसमें विशेषाधिकार-हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न होने के कारण मैं इसे अग्राहय करता हूं। ।

श्री गोरख सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के विरुद्ध श्री लाल जी वर्मा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

। श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री गोरख सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 28 जुलाई, 2004 को अभिसूचित की है।

श्री लालजी वर्मा ने उक्त सूचना में यह कहा है कि दिनांक 25 जुलाई, 2004 को उनके विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरवा बीठलपुर (अमौदा) थाना-इब्राहिमपुर निवासी श्री देवराज वर्मा उनके निवास स्थान ग्राम मोहीद्दीनपुर आये और बताया कि अकबरपुर कोतवाली के पुलिस उपनिरीक्षक उनके घर आये थे और कह रहे थे कि उनके (श्री वर्मा के) विरुद्ध थाना कोतवाली अकबरपुर में कोई मुकदमा दर्ज है। श्री देवराज वर्मा के आग्रह पर माननीय सदस्य ने जब अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री गोरखसिंह से फोन पर जानकारी चाही और कहा कि यदि यह प्रतीत हो कि श्री देवराज वर्मा आदि निर्दोष हैं तो इनकी मदद करनी चाहिए। इस पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर, श्री गोरखसिंह द्वारा यह कहा गया कि वे रिजर्वेशन से कोतवाल नहीं बने हैं। वे ठाकुर हैं, वे क्यों मदद करें। माननीय सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जिसका कार्य जाति बिरादरी से हटकर जनता की सेवा करना है वे उनकी इस बात को विधान सभा में उठायेंगे। प्रभारी निरीक्षक श्री गोरखसिंह ने कहा कि उनका घर अकबरपुर नहीं है वे और उनकी विधान सभा उनका क्या कर लेगी ? उनके जैसे बहुत से विधायक उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। वे उनकी सरकार में भी अमेठी के कोतवाल थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अपनी उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है तथा सदन की अवमानना हुयी है। साथ ही माननीय सदस्य ने थाना कोतवाली अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री गोरखसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, अम्बेडकरनगर से करायी गयी। जांच के परिशीलन मे पाया गया कि श्री सुरेन्द्र बहादुर वर्मा पुत्र मनीराम वर्मा, निवासी ग्राम लालपुर सूबेदार का पुरवा, थाना कोतवाली अकबरपुर जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, माननीय सी0जे0एम0 न्यायालय से धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 के तहत मोटर साइकिल व रुपये 21670.00 छीनने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त कर कोतवाली अकबरपुर में मु0अ0सं0 139/04 धारा 394 भा0दं0वि0 बनाम हरीराम प्रजापति निवासी ग्राम बरवाबीठलपुर, थाना इब्राहिमपुर शिव सहाय, निवासी नाउसांडा, थाना इब्राहिमपुर, खुर्शीराम वर्मा, निवासी ग्राम व थाना इब्राहिमपुर पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त वादी व प्रतिवादी के मध्य रुपये के लेन-देन को लेकर वादी द्वारा स्वेच्छा से अपनी मोटर साइकिल प्रतिवादी को देना तथा बाद में पैसा वापस करके मोटर साइकिल वापस लेने की बात पायी गयी। किसी अपराध का होना नहीं पाया गया। विवेचनोपरान्त दिनांक 27 जुलाई, 2004 को मय एखराज जुर्म अन्तिम रिपोर्ट संख्या 30 प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

विधान सभा तथा सदस्य, विधान सभा पद की अवमानना करने आदि का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं होता है।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना में उल्लिखित तथ्यों एवं उनके विषय में शासन से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन के अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।]

श्रीमती सुशीला, प्रधानाचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद जनपद सीतापुर के विरुद्ध श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[माननीय श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला, प्रधानाचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 03 अगस्त, 2004 को अभिसूचित की थी।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह कहा है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वे छात्रों के प्रवेश में अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 24 जुलाई, 2004 को उक्त महाविद्यालय की प्रधानाचार्या, श्रीमती सुशीला का ध्यान आकृष्ट करने एवं उनसे प्रवेश सम्बन्धी कुछ जानकारी करने उनके कार्यालय गये थे। इस पर प्रधानाचार्या ने उन्हें वांछित जानकारी नहीं दी और उनके प्रति अशोभनीय व्यवहार किया एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान किया तथा यह भी कहा कि वे कोई उनके अधिकारी नहीं हैं। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें विदित हुआ है कि इसके उपरान्त प्राचार्या की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी जिसमें माननीय सदस्य के विरुद्ध निराधार, भ्रामक एवं असत्य आरोप लगाकर एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। माननीय सदस्य ने उक्त निन्दा प्रस्ताव की प्रति अपनी सूचना के साथ संलग्न की है। इससे माननीय सदस्य को मानसिक क्लेश हुआ है तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंची है। माननीय सदस्य ने श्रीमती सुशीला के विरुद्ध उक्त नियमावली के नियम-63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन का मामला मानते हुए समुचित कार्यवाही करने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। इस प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य-मंत्री से प्राप्त आख्या, दिनांक 14 फरवरी, 2005 में अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण की जांच निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से वरिष्ठ स्नातकोत्तर प्राचार्य, श्री बी0 डी0 जोशी से करायी गयी। श्री जोशी द्वारा माननीय सदस्य से भी उनके आवास पर जाकर प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तथा उनके बयान लिये गये। प्राचार्या द्वारा माननीय सदस्य के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित न करना, उन्हें वांछित जानकारी न देना, उनका अपमान करना तथा अपशब्दों का प्रयोग करना, उनके विरुद्ध निराधार भ्रामक एवं असत्य आरोप लगाकर निन्दा प्रस्ताव पारित कर उन्हें अप्रत्याशित रूप से मानसिक क्लेश पहुंचाना एवं उनकी समाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एवं माननीय विधायक के प्रति प्राचार्य का व्यवहार विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना होना जांच के मुख्य बिन्दु थे। श्री जोशी के अनुसार स्थानीय विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या की गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्य, उनके द्वारा भेजे गये व्यक्तियों के पाल्यों का प्रवेश न होने के कारण दिनांक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

24 जुलाई, 2004 को क्षुब्ध रहे प्रतीत होते थे। कदाचित उनकी क्षुब्धता का कारण महाविद्यालय के लिए महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम शहजमी में आने वाली भूमि को तत्परता से प्राचार्या द्वारा अधिग्रहीत न किया जाना भी हो सकता था। उक्त परिस्थितिजन्य कारणों से दिनांक 27 जुलाई, 2004 को प्राचार्या एवं प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के समक्ष माननीय सदस्य द्वारा कदाचित ऐसी शब्दावली एवं भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाविद्यालय द्वारा माननीय सदस्य के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर प्रेषित किया गया। निन्दा प्रस्ताव में जो उल्लेख है, वार्ता के दौरान माननीय सदस्य ने न ही उसका खण्डन किया और न ही उसे स्वीकार किया किन्तु उन्होंने उक्त निन्दा प्रस्ताव की प्रतियां उनके विरोधियों को सूचनार्थ भेजने पर गहन आपत्ति की।

जांच में यह भी उल्लेख है कि निन्दा प्रस्ताव में उल्लिखित बातों का खण्डन माननीय सदस्य द्वारा नियम-63 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में भी न किये जाने से प्राचार्या द्वारा उन पर लगाये गये आरोप कि उन्हें प्रवेश सम्बन्धी जानकारी न देकर उनका अपमान करने, गाली देने तथा अपशब्दों का प्रयोग करने तथा यह भी कहने कि माननीय सदस्य उनके कोई अधिकारी नहीं हैं, वे उन्हें कुछ नहीं बतलाना चाहतीं, की पुष्टि नहीं होती है। जांच में यह भी उल्लेख है कि कदाचित माननीय सदस्य द्वारा आवश्यकता से अधिक रोष व्यक्त किया गया और छात्रों को खुश करने के लिए माननीय सदस्य द्वारा महाविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने, परिसर में हुयी मारपीट की घटना एवं उक्त घटना की तत्काल प्राथमिकी दर्ज न होने एवं उक्त मारपीट जैसी घटना की पुनरावृत्ति की आशंका एवं उनके द्वारा प्राचार्या एवं उनके सहयोगी कर्मियों को तथा कथित रूप से धमकाने जैसे परिस्थितिजन्य कारणों से माननीय सदस्य के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव जल्दी में पारित कर माननीय सदस्य को प्रेषित किया गया प्रतीत होता है। प्राचार्या एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा दिये गये लिखित एवं मौखिक स्पष्टीकरण के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि माननीय सदस्य का सम्मान किया गया तथा उनके प्रति समुचित शिष्टाचार भी प्रदर्शित किया गया। माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हें मौखिक रूप से तत्समय उपलब्ध करायी गयी एवं उनके जाते समय भी सम्मान प्रदर्शित किया गया। जांच में यह भी कहा गया है कि परिस्थितिजन्य कारणों से दुखी होकर ही निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके लिये प्राचार्या द्वारा लिखित स्पष्टीकरण में क्षमा याचना की गयी है।

माननीय सदस्य की सूचना में उल्लिखित तथ्यों एवं उसके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त जांच पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत प्रकरण का पूर्ण घटनाक्रम परिस्थितिजन्य था जिसमें विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।]

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने सूचना पढ़ दी और इस पर कार्यवाही भी हो गई है। आपने कहा है कि इसको अग्राहय करता हूं। मेरा निवेदन है कि अग्राहय की जगह पर "इसको निस्तारित करता हूं" तो ज्यादा उचित होगा। सूचना के आधार पर कार्यवाही हो गई है तो यह मामला निस्तारित हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार किन परिस्थितियों में होता है मैं इसके बारे में दे दूंगा, अगर आप पढ़ लेंगे और संतुष्ट हो जायेंगे तो ठीक है नहीं तो आप जो कह रहे हैं वह कर दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक शब्द की बात है। अग्राहय की जगह निस्तारित कर दें। तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

विद्वान सदस्य माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा, वैसे तो आपका आदेश उस पर हो गया है और वह आखिरी है। अगर कोई शब्द इस तरह का कह दिया है तो वह भी माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनाएं टाइप हो रही थी इसलिये उसमें कुछ विलम्ब हो गया अब मैं उन सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 23 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से नियमानुसार निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। श्री ओम प्रकाश गुप्त, श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, डा0 विनोद तिवारी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह", डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री प्रेम सिंह दरोगा, श्री हुकुम सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री बीजू पटनायक, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सलिल विश्नोई, श्री दिलीप वर्मा, श्री शर्मीमुल हक, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री बैजनाथ दुबे, श्री राम करन आर्य, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री छेदी राम, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं।

क्या माननीय सदस्य उपस्थित हैं ?

(हां-हां की आवाजें)

डा0 सुशील चौधरी, श्री कौशल किशोर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री विश्राम सिंह यादव की सूचनाएं अस्वीकार की गई इसके अतिरिक्त श्री मतेश चन्द्र सोनकर की सूचना नियम-51 में प्राप्त हुई है, श्री मुंशी लाल गौतम की सूचना नियम-51 में प्राप्त हुई है, श्री प्रागी लाल अहिरवार की सूचना नियम-51 में प्राप्त हुई हैं।

(नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर नगर के रमईपुर-मझावन-साढ़ मार्ग तथा भीतर गांव-साढ़ मार्ग के निर्माण कार्य में कथित कदाचार की जांच टी0 ए0 सी0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश गुप्त-

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि मध्यांचल विकास निधि से प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर नगर द्वारा (1) रमईपुर-मझावन-साढ़ मार्ग तथा (2) भीतर गांव-साढ़ मार्गों में कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में भारी घपला करके घटिया स्तर का कार्य कराकर उच्चाधिकारियों द्वारा हड़पे गये लगभग 35,00,000/-रुपये (पैंतीस लाख रुपये) की जांच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराने, किये गये कार्य की गुणवत्ता व मूल्यांकन की जांच टी0ए0सी0 से कराने तथा कदाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कराकर दण्डित कराने के साथ-साथ इनके द्वारा गबन किये गये उपरोक्त धन को जनहित में राजकोष में वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय एवं अति लोक महत्व के विषय पर शासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष योजना के पदों पर पूर्व कालिक अधिकारियों की तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह-

[आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान वाराणसी स्थित संस्कृति विभाग के कार्यालयों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वाराणसी विश्व के पुरातन नगरों में एक है तथा भारतीय पुरातत्व, संस्कृति व साहित्य, संगीत तथा कला का उद्गम स्थल रहा है। वाराणसी में बड़ी संख्या में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक स्थान/पुरातन साहित्य उपलब्ध है जिनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय आज अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी व अपर्याप्त संसाधनों के कारण अपने दायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। उदाहरणार्थ वाराणसी में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी तथा पुरावशेष योजना के तहत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद दीर्घ काल से रिक्त हैं। जिससे इन कार्यालयों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसी अधिकारी को इनका अतिरिक्त प्रभार सौंपने से समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

अतः मैं लोक महत्व के इन महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वाराणसी में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष योजना के पदों पर तत्काल पूर्णकालिक अधिकारियों की तैनाती किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ जनपद के सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार वर्मा-

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि लखनऊ जनपद के सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के केवल दो पद हैं यह पद बहुत ही संवेदनशील हैं क्योंकि इनके माध्यम से बड़े चिकित्सालयों की औषधि का क्रय किया जाता है। जिसका बजट लगभग करोड़ों रुपये का होता है, ऐसी परिस्थिति में इन अधिकारियों को एक ही चिकित्सालय में निरन्तर 5 से 10 वर्षों तक तैनात रहना उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ एवं श्यामा प्रसाद मुकर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में ये अधिकारी कितने वर्षों से तैनात हैं। यदि 5 वर्ष से अधिक तैनात रहे हो तो मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपद में करने की कृपा की जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय एवं अति लोक महत्व के विषय पर शासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा कमालपुर ग्राम मजरा बिहामिदपुर (देवीगंज) में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू, जनपद-कौशाम्बी के अन्तर्गत ब्लाक कड़ा ग्राम सभा कमालपुर ग्राम मजरा बिहामिदपुर (देवीगंज) में चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत सिंचाई हेतु एक ट्यूबवेल बनवाये जाने के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना है कि मेरे चुनाव क्षेत्र सिराथू में एक ट्यूबवेल होना नितान्त आवश्यक है। उक्त ट्यूबवेल लग जाने से क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई की समस्या समाप्त हो जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय एवं अति लोक महत्व के विषय पर शासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

पीलीभीत वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न रेंजों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नवम्बर, 2001 से अब तक का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ तो भुखमरी से बचाने की घोषणा करती है, दूसरी तरफ भूख से मरने के लिए बाध्य करती है। जनपद पीलीभीत के वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न रेन्जों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नवम्बर, 2001 से अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है जिसमें लगभग 80 कर्मचारी शामिल हैं जो वेतन न मिलने से भुखमरी के कगार पर हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2001 से वेतन न मिलने के कारण उक्त कर्मचारियों के परिवार दाने-दाने को मोहताज हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है तथा किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन मे कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

क्षेत्र पंचायत नगर जनपद बलिया में पंचायतीराज ऐक्ट के अनुसार धन आहरण की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह-

[महोदय, क्षेत्र पंचायत नगर जनपद बलिया में घोर अनियमितता हुई। बी0डी0ओ0 की एकल दस्तखत से कार्य प्रभारी ने लाखों रुपया 29-12-2004 से 1-1-2005 के बीच में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बलिया से आहरण किया है। धन आहरण हेतु पंचायती राज ऐक्ट में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और बी0डी0ओ0 दोनों की संयुक्त दस्तखत होनी चाहिए। लेकिन बिना निर्माण कार्य कराये बी0डी0ओ0 ने कार्य प्रभारी के द्वारा केवल अपनी दस्तखत से रुपया आहरण कर वित्तीय अनियमिततायें की हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समूह पेयजल योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के लिए कई वर्षों से ग्राम समूह पेयजल योजना कन्धई मधुपुर, मैंहदिया, रामगंज, नहरपुर, सेफाबाद तथा अन्य एक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के सापेक्ष 5 स्थानों पर ग्राम्य पेयजल समूह भी निर्माणाधीन है, धनराशि भी उपलब्ध है। फिर भी विभागीय उदासीनता के कारण अधूरा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और जनता को गम्भीर क्षति हो रही है, जन सुविधा प्रभावित हो रही है। साथ ही उपलब्ध करायी गयी राजकीय धनराशि की भी हानि हो रही है।

अतः जनहित से जुड़े इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे बड़ा एवं प्रमुख उद्योग है तथा इस उद्योग में आवश्यक गन्ना उत्पादन में लाखों किसान लगे हुये हैं। लाखों किसानों तथा उनके परिवार का भरण-पोषण गन्ना विक्रय करके होता है। प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र में चीनी निगम की 22, सहकारी चीनी मिल संघ की 28 तथा निजी क्षेत्र की 54 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य किया जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ-माना गया।

खेद का विषय है कि प्रदेश सरकार ने उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया है। इन चीनी मिलों से जुड़े गन्ना किसान तथा इनमें कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकारी इन मिलों के निजीकरण करने के निर्णय से आन्दोलित हैं तथा धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार ने इन चीनी मिलों को किन शर्तों पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया है, क्या इन मिलों को चीनी मिलों के रूप में ही चलाया जायेगा तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवाओं का क्या होगा ? इन प्रश्नों की जनता सरकार से स्पष्ट स्थिति जानना चाहती है।

अतः विषय प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ा हुआ है, अति लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में गांवों में बनी आबादियों का सर्वे कर अधिग्रहण से मुक्त करके ही भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर-

[महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं, इनमें मुख्य रूप से कासना, डाढाह, साफीपुर, तुल्याना इत्यादि के जो प्रस्ताव भेजे हैं उनमें गांवों में बनी आबादियों का सर्वे कराये बिना ही अधिग्रहण के लिये भेज दिया गया है, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में ग्रामीणों में शासन व प्रशासन के प्रति रोष व असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः मेरी मांग है कि उपरोक्त सभी गांवों में धारा 4/17 के प्रस्ताव वापिस कराकर तथा आबादियों का सर्वे कराकर आबादियों को भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव से मुक्त कर ही संशोधित प्रस्ताव भेजे जायें।

अतः मैं इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग की संस्तुति पर सरकारी कर्मचारियों को निजी आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[मान्यवर, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये गठित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन ने सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय तक, निजी आवास उपलब्ध कराये जाने की एक योजना बनाई थी, जिसका कार्यान्वयन आयुक्त, आवास एवं विकास, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत आवास पाने के लिये विकल्प प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को मकान की श्रेणी के अनुसार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा कराकर तथा वेतन मे नियमित मासिक कटौती करके "फस्ट टू रिटायर फर्स्ट टू गेट द हाउस" आवास आवंटन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिद्धान्त के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था आवास अनुभाग द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से की गयी थी।

सरकारी कर्मचारियों को निजी आवास उपलब्ध कराने की योजना का अभी तक कार्यान्वयन नहीं हो सका है जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं नियम:301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) की द्वितीय किश्त न जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र राम नगर जनपद बाराबंकी में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से हतेमापुर में घाघरा नदी से कटान से बचाव हेतु ठोकर निर्माण, झझरी छेदा मार्ग का निर्माण, अमोली कला तिलोकपुर मार्ग का निर्माण, रानी बाजार ददौरा लालपुर मार्ग से कार्य हेतु जारी प्रथम किश्त द्वारा कार्य प्रारम्भ कर कराया जा रहा है जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी के माध्यम से लोक निर्माण अनुभाग-14 प्रेषित किया जा चुका है परन्तु द्वितीय किश्त न जारी होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है जिससे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जनहित में द्वितीय किश्त जारी कराकर कार्य पूर्ण कराना अत्यन्त आवश्यक है अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल द्वितीय किश्त जारी करने, अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर-स्याना रोड से गांव मानकपुर तथा सलेमपुर आदि मार्गों पर विगत 10 वर्षों से मोटे पत्थर पड़े होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर-स्याना रोड से गांव मानकपुर तथा सलेमपुर शिवाली रोड से खलसिया-माजरा संगवा के मार्गों पर न जाने किस विभाग ने काफी मोटा-मोटा पत्थर डाल रखा है जिससे आम व्यक्ति साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर-ट्राली, कार आदि वाहनों के अलावा पैदल भी नहीं निकला जाता है लगभग 10 वर्ष पत्थर पड़े इस मार्ग पर हो गये हैं लेकिन लेपन कार्य आज तक नहीं हुआ है आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मार्गों का लेपन कार्य कराया जावे।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त मार्गों का निर्माण तत्काल कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम जी प्रसाद, दैनिक वेतन लिपिक, बलिया को न्यूनतम वेतन, न्यायालय के आदेश के पश्चात न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सिंह-

[मान्यवर, निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3222/90/एल0/259६/अधि0 दिनांक 5 मार्च, 2005 एवं पत्र संख्या-3781/एल0/04/17/अधि0 दिनांक 11 मार्च, 2005 को क्रमशः श्री शल्ले सिंह दैनिक वेतन लिपिक रायबरेली को बिना कोई न्यायालय के आदेश से कनिष्ठ लिपिक का न्यूनतम वेतन रुपया 3050 किया गया है तथा इसी तरह श्री विजय प्रताप सिंह दैनिक वेतन लिपिक को न्यायालय के आदेश से बलिया में वेतनमान रुपया 3050-4590 में न्यूनतम वेतन 3050 किया गया है।

खेद का विषय है कि किन्तु श्री राम जी प्रसाद को जो बलिया में दैनिक वेतन लिपिक के पद पर वर्तमान में कार्यरत है के न्यायालय के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद रुपया 3050-4590 का न्यूनतम वेतन रुपया 3050 नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कई प्रत्यावेदन दिये गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करते हुए तत्काल श्री राम जी प्रसाद को न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में रुपया 3050-4590 का न्यूनतम वेतन की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के कृषकों को निजी नलकूप हेतु बिजली के कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[मान्यवर, कृषकों को निजी नलकूप हेतु बिजली के कनेक्शन न मिलने के कारण भारी असंतोष व्याप्त है। पूर्ववर्ती सरकार ने निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था बनायी थी परन्तु वर्तमान में उस समस्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है नलकूपों के कनेक्शन देने बन्द कर दिये गये हैं अकेले पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन में 10,000 से ज्यादा कृषकों के आवेदन पत्र लम्बित हैं। एक-एक कनेक्शन के लिए कृषक इधर-उधर की ठोकरे खा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कनेक्शन देने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है खड़ी फसलों को सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है निजी नलकूपों के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था सिंचाई की नहीं है प्रदेश भर के कृषक आन्दोलित हैं।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी लम्बित कनेक्शन तुरन्त स्वीकार किए जांए।]

जनपद आजमगढ़ में 30 वर्ष पुरानी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दु प्रस यादव-

मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले शहर क्षेत्र में बड़ी पुरानी सीवर लाइन की ओर दिलाना चाहता

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हूं। यह सीवर लाइन पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है और लगभग 30 वर्षों से इस सीवर को ठीक करने का कार्य हो रहा है जो कि आज तक पूरा नहीं हो सका है जिस कारण शहर के लोगों को पानी निकासी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस योजना में अब तक करोड़ों रुपये का काम कराया जा चुका है परन्तु किन्हीं कारणों से यह सीवर लाइन अभी भी अधूरी है क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को देखते हुए इस अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये आजमगढ़ शहर में पुरानी सीवर लाइन को जनहित में तत्काल पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के तहसील रूद्रपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बरडीहा दल के पोखरों की जमीन अपात्र लोगों के नाम आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं अति लोक महत्व के विषय के तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद देवरिया के तहसील रूद्रपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बरडिहादल में पोखरे के जमीन/कोटा का पट्टा अपात्र व्यक्ति को उपजिलाधिकारी रूद्रपुर द्वारा कर दिया गया है नियम विरुद्ध मीरा पति गनेश को पट्टा किया गया है गनेश के पास तीन मंजिला मकान है कई एकड़ का भू स्वामी है, परिवार के लोग भूटान में शराब का व्यवसाय करते हैं परन्तु धन अर्जित कर उप जिलाधिकारी द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया है और उस पर अवैधानिक निर्माण किया गया है नायब तहसीलदार महेन रामनुज, तथा उप जिलाधिकारी रूद्रपुर राम समुझ ने धन उगाही की है, ग्राम प्रधान तथा ग्राम के अन्य लोगों द्वारा इस संबंध में एक शिकायती-पत्र मा0 राजस्व मंत्री जी को दिया, उस पर फरवरी, 05 में ही मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी को दिये कि अपात्र व्यक्ति को गलत ढ़ग से किया गया पट्टा की जांच करे और निर्माण कार्य रुकवायें, पट्टा निरस्त करें, तथा कार्यवाही अवगत करायें। उक्त आदेश पर थानाध्यक्ष मदनपुर को अपर जिलाधिकारी प्रशासन देवरिया द्वारा लिखित आदेश देकर निर्माण कार्य रोकने को कहा गया। परन्तु ऊपर से लेकर नीचे तक अनुचित लाभ लेकर रातोरात उस पर निर्माण कराया गया और इसमें थानाध्यक्ष मदनपुर व उसके सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध रही हैं उपजिलाधिकारी रूद्रपुर द्वारा बिना धन लिये कोई कार्य नहीं किया जाता है और अवैधानिक कार्यों को प्रसय देना, शासन व मा0 मंत्रियों के आदेशों का पालन न करना, इसकी कार्यशैली बन गई है इसको तत्काल हटाया जाना चाहिए नहीं तो स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और आन्दोलन उग्र हो सकता है। इस पर चर्चा करा ली जाये, और तत्काल इस अवैध निर्माण को गिरवाया जाये। शासन के आदेशों का पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल उप जिलाधिकारी रूद्रपुर व नायब तहसीलदार को हटाने एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं। प्रकरण गम्भीर है और इस तरह के तमाम कार्य उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और शासन व सरकार को बदनाम किया जा रहा है मंत्री जी के आदेश की अवहेलना किया किया जा रहा है। धन उगाही की जा रही है, ग्रामवासी परेशान हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0 जी0 आई0 लखनऊ में इलाज करा रहे हृदय रोगी श्री राम बदन यादव को धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[मान्यवर, मैं अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री राम बदन यादव निवासी मुरालपुर, जनपद मऊ का हृदय रोग का आपरेशन पी0 जी0 आई0 लखनऊ में हुआ है इन्होंने जनवरी, 2004 में मुख्यमंत्री कोष से डेढ़ लाख रुपये की सहायता अनुदान देने का अनुरोध किया था जो इस्टीमेट सहित इनका आवेदन पत्र तत्कालीन मंत्री श्री पारसनाथ यादव जी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री को दिया गया था जो मुख्यमंत्री अनुभाग के पत्र संख्या-2056 दिनांक 19-1-04 पर अंकित है और जिले के फैक्स से रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्य कार्यालय से मांगा गया था उक्त रिपोर्ट जिले से अनुभाग को आ गई। मरीज मरणासन्न स्थिति में पहुंच कर कर्ज लेकर अपना आपरेशन कराया जिसमें डेढ़ लाख रुपये से अधिक खर्च किया। मरीज एक गरीब परिवार का व्यक्ति है और धन के अभाव में इलाज में आया खर्च को वहन व कर्ज अदायगी नहीं कर पा रहा है जिससे भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है अनुभाग के द्वारा अनुदान जारी कराने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है सोचनीय विषय है, मरीज परेशान है और गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण आये दिन पी0जी0आई0 में जांच कराता चला आ रहा है परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और कर्ज अदायगी के लिए बने दबाव के चलते परेशान है। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 में लम्बित पत्र संख्या म-2056/04 पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, और डेढ़ लाख का अनुमोदन/स्वीकृति होनी चाहिए, ये एक लोक महत्व का विषय है अविलम्बनीय है इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तथा तत्काल स्वीकृति देनी चाहिए। नहीं तो गरीब व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो सकती है, गम्भीर विषय है।

अतः इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही करने एवं धन स्वीकृत कर इलाज में हुए खर्च की अदायगी कराई जाये। लोक महत्व का विषय है।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले भावलखेड़ा ब्लाक की कुछ क्षेत्र सड़कें बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है। इन सड़कों पर आवागमन एक मुसीबत बन गया है ये सड़कें हैं-मोहम्मदी मार्ग से जमालपुर तक तथा हथौड़िया को जाने वाला मार्ग, बरतारा से सरई-हेतमपुर मार्ग, रौसर मार्ग, दनियापुर मार्ग, परमाली मार्ग, सुजातपुर-उटहा मार्ग जनहित में इन मार्गों की मरम्मत अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से भावलखेड़ा ब्लाक के उक्त मार्गों की मरम्मत की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर निगम के स्थायी एवं अस्थायी हजारों कर्मचारियों को लगभग 9 माह का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई-

[मान्यवर, कानपुर नगर निगम के हजारों स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 6 माह से लेकर 9 माह तक से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गयी है। अनेकों परिवार भुखमरी के कारण आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं तथा उनके बच्चों की स्कूल आदि में फीस भी जमा नहीं हो पा रही है जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। बीमार एवं बुजुर्ग दवा के अभाव में मर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिल पा रही है जिसके कारण कर्मचारी आन्दोलन की राह पर हैं।

मान्यवर, हजारों परिवारों के सामने भुखमरी एवं तंगहाली की स्थिति होने के कारण तमाम परिवारों में असहाय जैसी स्थिति हो गयी है। शासन की ओर इस समस्या के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वेतन न मिलने से अधिकारी भी इनसे कोई सफाई कार्य करवाने में अपने को अक्षम महसूस कर रहे है जिसके कारण पूरा कानपुर महानगर होली व बारावफात जैसे त्योहारों पर गन्दगी से भरा पड़ा है। होली के अवसर पर इनके घरों में चूल्हा जल सके इसके लिए सरकार त्वरित एवं गम्भीर प्रयास करें।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-8 चौराहे व उससे जुड़ी हजारों सड़कों को हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलीप कुमार वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-8 चौराहे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग सम्पूर्ण इन्दिरा नगर की सड़कों का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण कराया जा चुका है किन्तु सेक्टर-8 चौराहे व उससे जुड़ी हुई चारों सड़कों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है वहां पर बरसात में एक डेढ़ फुट तक बन्द रहता है। उक्त चौराहे पर डामरयुक्त मिट्टी की तो बात अलग पत्थर की मिट्टी निकल आयी है और प्रायः सीवर का पानी भरने के कारण बारहों महीने कीचड़ बना रहता है।

अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-8 चौराहे को ऊंचाकर उसे विकसित कराने तथा चौराहे से सम्बद्ध चारों सड़कों को हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ को निर्देशित करने की कृपा करें।]

अभिसूचना विभाग में रिक्त 436 मुख्य आरक्षी के पदों पर विभाग के आरक्षियों की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमीमुल हक-

[मैं आपके संज्ञान में जनहित के एक महत्वपूर्ण मामले को लाना चाहता हूं।

अभिसूचना विभाग में उप-निरीक्षक (विशेष श्रेणी) में प्रोन्नति के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी के 36 पद रिक्त हो गये हैं। जो विभाग में नियुक्त आरक्षियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर भरा जाना है। इससे सरकार पर वित्तीय भार भी नहीं आयेगा। अनुशासित विभाग होने के कारण यह अपनी बात अधिकारियों से नहीं कह पाते हैं जिससे इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप उक्त रिक्त पद पर अब तक प्रोन्नतियां हो जानी चाहिए थीं ? परन्तु विभाग की लापरवाही के कारण नहीं हो पायी जिनसे कर्मचारियों में असन्तुष्टा एवं रोष स्वाभाविक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अभिसूचना विभाग में रिक्त 436 मुख्य आरक्षी के पद पर विभाग के आरक्षियों की प्रोन्नति किये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय घाटों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[महोदय, आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के आवागमन के लिए सड़कें तो काफी बन गई हैं, किन्तु उन मार्गों पर पड़ने वाली नदियों पर पुल न होने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो छात्र/छात्राओं को विद्यालय में शिक्षा के लिए आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है। अभिभावकों को नाव द्वारा पार कराकर बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। इसलिए पवई ब्लाक अन्तर्गत सौदमा घाट, निजामपुर घाट, शेरजहांपुर घाट तथा अहरौला ब्लाक के अन्तर्गत कल्हौरा आश्रम के पास नदी पर पुल के निर्माण की महती आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 2005-2006 वर्ष में उपरोक्त पुलों का निर्माण करा दिया जाय।]

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

[मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :-

"बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं जिनमें प्रमुख तौर पर छात्रों से अधिक फीस लिए जाने, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति किये जाने तथा वित्तीय प्रकरण हैं, की जांच प्रचलन में है किन्तु उक्त विश्वविद्यालय के पदासीन कुलपति के रहते न तो अपेक्षित गति से जांच हो पा रही है और कुलपति द्वारा महिला शिक्षकों को गुमराह करके जो जन-प्रतिनिधि इस मामले को उजागर करना चाहते हैं उनका घेराव तक करने की साजिश की गई है। आज दिनांक 23 मार्च, 2005 को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक निर्धारित है जिसमें जन-प्रतिनिधियों (विधायक) की सहभागिता में बाधा पहुंचाने का षड़यंत्र भी रचा गया है।"

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, झांसी ने मा0 कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल) को एक ज्ञापन भी दिया है जिसमें बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा-12.11ए(12) एवं 11ए(13) के अन्तर्गत उक्त जांच को निष्पक्ष बनाने के लिये जांच की अवधि में उक्त कुलपति को उनके पद से विरत् किये जाने की मांग की गयी है।

विधान सभा में मैंने दिनांक 30 जुलाई, 2004 को नियम 56 के अन्तर्गत अपने प्रथम भाषण में भी यह विषय उठाया था और उस समय इस पर विस्तृत चर्चा कराये जाने की मांग की थी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया छात्रों के भविष्य से जुड़े जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में नियम-301 के अन्तर्गत मुझे उठाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।].

जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज-सांगीपुर तक के 12 कि0मी0 लम्बे मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार-

[जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय लालगंज के अन्तर्गत सई नदी के तट पर प्राचीन एवं प्रसिद्ध शिव मन्दिर बाबा घुइसरनाथ धाम स्थित है। यह पर्यटक एवं तीर्थ स्थल लालगंज से सांगीपुर मार्ग पर पड़ता है जिसकी दूरी लगभग 12 कि0मी0 है। यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिये आते हैं तथा राष्ट्रीय एकता महोत्सव भी कौमी एकता एवं भाई चारे को बढ़ाये जाने हेतु यहां पर आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जनपद के ही नहीं वरन् प्रदेश के अन्य अंचलों से भी प्रायः विशेष रूप से मंगलवार को श्रद्धालु काफी संख्या में आते रहते है।

सांगीपुर जाने वाली सड़क संकरी होने के कारण लोगों को आने-जाने में अत्यन्त ही परेशानी होती है और यह समस्या महाशिवरात्रि को और भी विकराल रूप धारण कर लेती है तथा कभी-कभी सड़क के चौड़ी न होने के कारण दुर्घटनायें भी हो जाती हैं और लोगों की जान चली जाती है या फिर गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस लालगंज से सांगीपुर तक के 12 कि0मी0 लम्बे मार्ग को चौड़ी करना अति आवश्यक है। मार्ग के चौड़ी न होने से लोगों में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी के चौक थाना क्षेत्रान्तर्गत सुड़िया, मोती कटरा तथा ठठेरी बाजार में अवैध चांदी की रिफाइनरियों को जनहित में बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी-

[महोदय, वाराणसी में चौक थाना क्षेत्रान्तर्गत सुड़िया, मोती कटरा तथा ठठेरी बाजार मोहल्ले के मकान नं0-सी0के0-17/5, मोती कटरा निवासी गुरु प्रसाद सेठ व दिलीप कुमार सेठ द्वारा चांदी की बहुत बड़ी रिफाइनरी चलायी जा रही है जिसके प्रदूषण से क्षेत्रीय नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। ज्ञातव्य हो कि उक्त रिफाइनरियों को बन्द किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किये गये हैं लेकिन खेद का विषय है कि प्रशासन के सक्रिय होने पर उक्त रिफाइनरियों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को बन्द कर दिया जाता है और पुनः 2-3 माह के बाद अवैध रूप से चालू कर दिया जाता है। उक्त रिफाइनरियों के चालू करने से तेजाब का भयंकर दुर्गन्ध एवं प्रदूषण से क्षेत्रीय नागरिकों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है और अनेकों लोक विशेष करके वृद्ध एवं बच्चों को अनेकों रोग से ग्रसित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से चलाये जा रहे चांदी की रिफाइनरियों को जनहित मे कठोरता पूर्वक बन्द किये जाने की आवश्यकता है। सूच्य है कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन नं0-(एस)385/1989 दिनांक 25-7-91 में उक्त क्षेत्र के सभी रिफाइनरियों को बन्द करने एवं जनहित में अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु राज्य सरकार को आदेश निर्गत की है।

उक्त नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित रिफाइनरियों को जनहित में अविलम्ब बन्द कराये जाने की मांग करता हूं।]

गोण्डा में बालपुर व कौड़िया बाजार को नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मैं मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा में बालपुर बाजार व कौडिया बाजार अत्यन्त महत्वपूर्ण बाजार हैं तथा नगर पंचायत स्थापित करने लायक सभी मानकों को पूर्ण करते हैं। यदि इन बाजारों को नगर पंचायत घोषित कर दिया जाये तो बाजार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत पिपरा गौतम से कटुसआ तक के अधूरे मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[मान्यवर मेरे विधान सभा नगर पूर्व बस्ती में पिपरा गौतम से कटुसवा तक पिछले 5 वर्षों से गिट्टी पड़ी है अभी डामर नहीं पड़ा है यह प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बस्ती में आता है। जब मैंने अधिशासी अभियन्ता से पूछा तो पता चला कि इस सड़क की पूरी धनराशि निकाल ली गई है और विभाग तथा ठेकेदार दोनों मिलकर इसे अधर में छोड़ दिया है। इससे जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल पू[illegible] कराने की मांग करता हूं।]

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बालक राम नि0 नगलाउरी कुचेला मैनपुरी का फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह चौहान-

[महोदय, निवेदन है कि श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बालक राम नि0 नगलाउरी कुचेला मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 17 [illegible] 1995 को फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुलिस मे भर्ती [illegible]

नोट :--[ ]यह अंश [illegible] गया।

जांच के उपरान्त उसके प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये जिसकी वजह से उसके विरुद्ध अपराध सं0 368/95 धारा 420, 467, 468 व 471 में एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई परन्तु आठ वर्ष बाद शासन के विशेष सचिव गृह द्वारा उपरोक्त वाद वापिस ले लिया है। क्या आठ वर्ष अभियुक्त द्वारा जो फर्जी प्रमाण-पत्र लगाये जिसके आधार पर उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 व कुर्की हुई है। उसके प्रमाण-पत्र क्या अवैध हो गये हैं और अगर फर्जी प्रमाण-पत्र नहीं थे तो एफ0 आई0 आर0 क्यों करायी गयी यदि हां, तो चार्जशीट क्यों पेश की गयी और आरोपी लगातार फरार क्यों चलता रहा अपराधी सुरेन्द्र सिंह का0 जिसका वाद सहारनपुर कोर्ट में चलता रहा परन्तु अब शासन द्वारा अपराधी का वाद वापिस लेने से क्या शासन अपराधी को संरक्षण दे रहा है।

अतः लोक महत्व अविलम्बनीय इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को वर्ष 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छेदी राम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उ0 प्र0 का मात्र एक सैनिक स्कूल है। इस अन्याय से लोगों में रोष व्याप्त है। शासन में बैठे अधिकारी अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। बी0 ड़ी0 सी0 व बैण्डमास्टरों के वेतनमान में भी विसंगतियों शासन स्तर पर शासनादेश में किया गया है। सुविधाओं से वंचित शिक्षक व कर्मचारी आन्दोलित हैं और अन्याय के खिलाफ मोर्चा बनाने पर मजबूर हो रहे है। जनहित का विषय है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान 1996 से दिये जाने, बकाये का भुगतान करने आदि का समाधान करने की मांग करता हूं।]

आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[महोदय, जनपद आगरा की विधान सभा 337, फतेहाबाद में आवागमन के लिये अधिकांश मार्ग अत्यन्त खराब हैं जिन पर लगभग एक-एक फिट के गड्ढे हैं। जैसे बैकुन्टी-द्विवरिया से नहर की पटीर मझारा, शमसाबाद-इनायतपुर मार्ग, इसोली मार्ग, कुर्रा चित्तरपुर मार्ग, पितौरा, हिमाऊपुर-पलटुआपुर मार्ग, गढ़ी खांडेरा, बांगुरी सेवला गोरवा, ऊर्वा, बरोरानागर, इदोन,. हिमाऊपुर, बालोनी-तारोली-गूजर मार्ग, बाबा मुन्शीदास, नीवरी मंशा की मड़ैया, मेवली खुर्द, तिवाहा, रूपपुर, स्वारा, पतेवापुर, पक्कापुरा, गुड़ा, कोलारा कलां, सिकरारा, बरीपुरा अई पिन्ना पुरा, पथरा कोट, रमूलपुर मीटपुरा, मीरपुर, बांगुरी, दिगनेर नहर की पटरी बांगुरी मार्ग, वाजिदपुर-पेंतीखेड़ा, जारोल,

---

नोट :-- [illegible] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बड़ोबड़ा कलां, कोलारा खुर्द, बड़ोबड़ा खुर्द इरादतनगर, शमसाबाद-फतेहाबाद, आगरा-शमसाबाद राजाखेड़ा, फतेहाबाद-रिहावली आदि मार्ग खराब होने से क्षेत्रीय जनता में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का अविलम्ब निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।

लखनऊ अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील कालोनी निवासी बाबू लाल निर्वाण की सी0बी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं एतद्द्वारा अपने इस विचार की सूचना देता हूं कि मैं सदन के कार्य को स्थगित करने के लिये प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता हूं। जिससे निम्नलिखित आवश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर चर्चा की जा सके।

मेरी मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के मोतीझील कालोनी निवासी जूता व्यापारी बाबू लाल निर्वाण का 1 फरवरी, 2005 को अपहरण हो गया था। पुलिस इस अपहरण काण्ड का पता नहीं लगा सकी। बल्कि लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में प्रेस संवाददाता सम्मेलन में 19 फरवरी को एक मौलाना का परिचय कराते हुए कहा था कि बिहार निवासी यह सज्जन सै0 गुलाम जिलानी हैं और बनारस जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने 3 फरवरी को श्री बाबू लाल निर्वाण को एक रोडवेज बस में सफर करते देखा था और हाल चाल पूछा था। बाबू लाल निर्वाण के परिवारजनों को जानकारी मिली है कि उनकी हत्या कर दी गयी और उनकी लावारिश लाश का दाह संस्कार राजस्थान में कर दिया। अत्यन्त संवेदनशील विषय यह है कि 3 फरवरी को जिलानी को बाबू लाल निर्वाण के मिलने वाली घटना सही है अथवा बाबू लाल निर्वाण की हत्या करके होल डाल में लाश बांध दी गयी और 2 फरवरी को सुबह बयाना (राजस्थान) रेलवे स्टेशन पर जी0 आर0 पी0 को उनकी लाश मिली। लखनऊ पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली इस घटना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं बाबू लाल निर्वाण की हत्या की सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग एवं परिवार को 10 लाख रुपये देने तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण का कोई भी सामान अध्यासियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण का कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। उक्त कालोनी में विद्युत अनुरक्षण का शिकायत कार्यालय है और कई मैकेनिकल कर्मचारी तैनात हैं जो बराबर दिन में ताश खेलते रहते हैं और कोई शिकायत करने पर सामान न होना कह कर किनारे हो जाते हैं। एक भी चोक, स्टार्टर, बल्ब, होल्डर, स्वीच, जो अनुमन्य है और सरकारी आवासों में लगता रहता है वहां

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर मौजूद नहीं है। कोई अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता नहीं जाता है। आवास संख्या-आर0एस0-2/292 में वर्षों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्य नहीं होता है। उसमें बल्ब, होल्डर, स्वीच, चोक, स्टार्टर आदि लगना है, छोटे-छोटे कार्य होने हैं परन्तु कोई सुनता नहीं है और कार्य नहीं कराया जाता है। उक्त कालोनी में रह रहे अध्यासियों में रोष है। जबकि वर्ष में कई करोड़ रुपये बिजली के सामानों की खरीद में जवाहर भवन में बैठे अभियन्ता भुगतान कागजों पर कर देते हैं और सामान नहीं आता है और कालोनी में सामान दिया ही नहीं जाता है जो कुछ जाता है उसको वहां पर बैठे कर्मचारी उसका दुरुपयोग करते हैं। विद्युत अनुरक्षण कार्य न होने से अध्यासियों में रोष व्याप्त है और वर्षवार जांच कराने की मांग कर रहे हैं तथा कार्य तत्काल कराया जाय, जनहित का विषय है और कर्मचारियों के आवासों से जुड़ा है। सरकारी धन का सदुपयोग होना चाहिए।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल चर्चा कराने एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह तथा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी आदि सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-9 पर कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा है। यह चर्चा स्थगित की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनाये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-10 पर माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में चर्चा है। यह चर्चा स्थगित की जाती है।

प्रदेश में विभिन्न विभागों के समूह 'ग' एवं 'घ' की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने, उत्पादित धन से अधिक धान क्रय, वी0पी0एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों, शिक्षकों को भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का आगामी सत्र तक जीवित रखते हुए स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-11 पर भर्ती की प्रक्रिया स्थगित किये जाने/धान के क्रय/शिक्षा मित्रों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा है यह चर्चा स्थगित की जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि उसको पूरा कर दीजिये कि यह चर्चा जीवित रहेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कल मान्यवर, यह तय हुआ था और आपने सहमति दे दी थी कि चर्चा स्थगित तो करेंगे लेकिन यह जीवित रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चायें जीवित रहेंगी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, कल मैं लोगों से नहीं मिल पाया, कल जालौन के प्रतिष्ठित लोग आये थे, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने यह कहा था कि हमारे यहां ठीक हो गया है। हम सब आराम से हैं। डाकू मारे गये हैं जिससे राहत मिल गयी है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

कहीं पर भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर किसी के मकान पर कब्जा करेंगे तो मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

जालौन के लोगों ने मुझसे मिलकर कहा है कि अब वह आराम से अपने-अपने घरों में रात को सोते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 36 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, बाकी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। मैं माननीय सदस्यों के नाम पढ़ रहा हूं। पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जो सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी चिकित्सकों को एक ही स्थान पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 सुशील चौधरी की जो मो0 इस्माइल के विरुद्ध थाना कृष्णा नगर में दर्ज अपराधों की विवेचना कराये जाने तथा सुदूर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सोमारू राम सरोज की जो जनपद जौनपुर के भू-माफिया पतिराज व उसके भाई सगराम आदि के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रेम सिंह दरोगा की जो जनपद बलिया में दैनिक वेतन लिपिक के पद पर कार्यरत रामजी प्रसाद को न्यूनतम वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद अम्बेडकर नगर के थाना जहगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बंगालपुर जैती में अष्टधातु की कीमती मूर्ति के चोरी का पर्दाफाश न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जो जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा ससपना में ग्राम समाज की भूमि पर अपात्रों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में खरकपुर के बड़ा गांव की रोड राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे पड़े मार्ग का निर्माण पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की जनपद एटा में शहर एटा जी0 टी0 रोड पर बायी पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह की जो जनपद हरदोई के

तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम भरावन गोडवा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जो जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत जमुना पार क्षेत्र में कोई दैवी आपदा राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री बैजनाथ पासवान की जो जनपद मऊ के तीस (30) सेवा अस्पताल में चिकित्सक/कर्मचारी की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में 18 सहायक अध्यापकों के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जो जनपद बलरामपुर में नगर पंचायत तुलसीपुर के चुनाव को शून्य मानकर पुनः निर्वाचन की अधिसूचना एवं तिथि घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जो जनपद आजमगढ़ में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जो जनपद गोरखपुर में 17 राइस मिलें मात्र कागजों पर चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जो जनपद गोण्डा की पुलिस द्वारा शिवपूजन तिवारी का घर गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जो जनपद मऊ के थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उ0 प्र0 राज्य कताई क0लि0 मऊ के प्रबन्धन से सांठ-गांठ करके मजदूरों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की जो नगर पूर्व बस्ती में घाघरा नदी के किनारे बसे गांवों में बन्धा बनाये जाने के बाद किसानों को धन का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जो कुशीनगर स्थित विधान सभा क्षेत्र सेवरही के गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट धाम के अनुदान में कमी किये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्रीमती राजरानी रावत की जो जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निंदूरा स्थित रा0उ0 मा0 विद्यालय फतेहपुर एवं रा0उ0मा0 विद्यालय इसरा को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जो मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों को गिराये जाने की नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी अन्तर्गत अशोकपुर-असूड़ीपूरे सनाद के मध्य नाले पर पुल निर्माण कराने एवं सैफाबाद लमेदा, दाउदपुर के मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री रणबीर राणा की जो वाराणसी स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित/जनजाति छात्रावास को विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की जो जनपद गोरखपुर में श्रीमती रेशमा रावत कृषक इण्टर कालेज भीटी में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताईसवीं सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्री मिथिलेश कुमार की जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग में हुई नियम विरुद्ध पदोन्नतियों के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाईसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जो जनपद जालौन में विकास कार्यों के अन्तर्गत कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो जनपद गौतम बुद्ध नगर अन्तर्गत ब्लाक दादरी के गांव उपरालती में 33 के0वी0ए0 बिजली घर के

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश गुप्ता की जो जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत घाटमपुर से साढ़ मार्ग के निर्माण में किये गये करोड़ों रुपये के गबन की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्डों का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद झांसी अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिजौली में अपात्र व्यक्तियों को भूमि पट्टा किये जाने एवं ग्राम समाज की भूमि अनुचित ढंग से बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जो जनपद फतेहपुर अन्तर्गत चौडगरा बिंदकी मार्ग पर स्थित ग्राम तेंदुली में कट स्टोन लगाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जो जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर अन्तर्गत आसाम-बस्ती मार्ग के खुटार से पूरनपुर तक के मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जो राजधानी लखनऊ में चेचक और खसरा के फैलते प्रकोप और अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तथा छत्तीसवीं सूचना श्री वसीम अहमद की जो जनपद लखनऊ अन्तर्गत थाना माल के दरोगा एवं सिपाहियों द्वारा माया पासी तथा उसके भतीजे के उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

उपर्युक्त सभी छत्तीस सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्री श्याम देव राय चौधरी, डा0 पूर्णमासी देहाती (दो सूचनाएं), श्री जगदम्बिका पाल-श्री प्रमोद कुमार, श्री बीजू पटनायक, श्री आलोक शाक्य-श्रीमती विजमा यादव, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री राम सेवक, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री सुन्दर सिंह, श्री राम इकबाल सिंह तथा प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर।

दल बदल कानून के अन्तर्गत लखनऊ में दायर एक रिट याचिका संख्या-5085 (एम0बी0)/2003 स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम स्पीकर विधान सभा यू0 पी0 एण्ड अदर्स में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के प्रतिपक्षियों पर नोटिस की तामीली विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि दल-बदल कानून के अन्तर्गत तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा के फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर एक रिट याचिका संख्या-5085(एम0बी0)/2003 स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम स्पीकर, विधान सभा, यू0पी0 एण्ड अदर्स में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के प्रतिपक्षियों (सम्बन्धित 40 सदस्यगण, विधान सभा) पर नोटिस की तामीली प्रमुख सचिव, विधान सभा के माध्यम से कराये जाने हेतु डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, विधान सभा को दिनांक 18-1-2005 को एक पत्र भेजा जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06-1-2005 भी सूचित किये गये कि प्रमुख सचिव, विधान सभा प्रतिपक्षियों को नोटिस तामील कराकर उसकी रिपोर्ट दिनांक 04-2-2005 के पहले उच्च न्यायालय को भेजें। इस विषय में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने मेरे आदेश प्राप्त किये। मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-84 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या-160 को दृष्टिगत रखते हुये इस मामले में प्रमुख सचिव, विधान सभा को यह आदेश दिये थे कि इस विषय में उनके द्वारा कोई अग्रतर कार्यवाही न की जाय।

यह उल्लेखनीय है कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ने इसी आशय का एक आदेश दिनांक 7 मई, 1984 को सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजा था जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-सी0एल0 4/VIII-बी-28, दिनांक 22-9-1953 एवं पत्र संख्या-16/VIII-बी-28, दिनांक 20-2-1968 तथा इसी विषय पर जनरल रूल्स (सिविल) और जनरल रूल्स (क्रिमिनल), 1957 के नियम-15 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध किया था कि किसी विधान सभा सदस्य अथवा सांसद पर सम्मन आदि की तामीली उस समय न की जाय जब वे सदन के परिसर में हों अथवा ऐसे सम्मन की तामीली पीठासीन अधिकारी अथवा उसके सचिवालय के माध्यम से भी न करायी जाय।

इसके अतिरिक्त, न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी इस बारे में समय-समय पर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया जाता रहा है कि वे न्यायिक अधिकारियों को विधान सभा सचिवालय के माध्यम से विधि सम्बन्धी आदेशिका आदि तामील करने के लिए न भिजवायें।

इसके बावजूद रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय की ओर से दिनांक 19-2-2005 को पुनः एक पत्र विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ जिसमें उच्च न्यायालय के यह आदेश दिनांक 18-2-2005 सूचित किये गये थे कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा से उक्त नोटिस की तामीली की रिपोर्ट दिनांक 01 मार्च, 2005 के पहले प्राप्त कर ली जाय और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाय। रजिस्ट्रार के उक्त पत्र के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने पुनः मेरे आदेश प्राप्त किये जिसपर मैंने उन्हें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और तद्नुसार प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी। उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 10-3-2005 में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, विधान सभा के विषय में भी प्रतिकूल टिप्पणी की है।

मैं उच्च न्यायालय की टिप्पणी से सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली मद लेता हूं।

(मद संख्या-13 एवं मद संख्या-14 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

ग्राम रामगढ़, तहसील व परगना अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में ग्राम समाज की 30 बीघे जमीन को भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[ग्राम रामगढ़, तहसील एवं परगना-अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में 50 लाख मालियत की लगभग 30 बीघे जमीन, जो वर्ष 1975 से अभिलेखों में "ग्राम समाज की भूमि" दर्ज थी। इस ग्राम समाज की भूमि का वर्ष 1985 में बिना वैधानिक पट्टे के श्री राम विलास सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह, श्री सुग्रीव सिंह पुत्र श्री राम विलास सिंह, श्रीमती सुदामा सिंह पत्नी श्री सालिग राम सिंह,

---

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर बहादुर सिंह, श्री धीरेन्द्र एवं श्री अमरेन्द्र सिह पुत्रगण श्री लाल बहादुर सिंह आदि लोगों के नाम फर्जी तौर पर अमल दरामद कर दी गयी। ग्राम समाज की इस भूमि, जिसका नम्बर-गाटा संख्या-490, 822, 1481, 775, 508/2534, 510, 551, 565, 1164, 2110 है, का उपयोग मजदूर, दलित एवं ग्रामवासी चारागाह इत्यादि के लिये किया करते थे। उक्त भूमि को कुछ भू-माफियाओं ने कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने नाम पट्टा कराकर फर्जी अमल दरामद करा लिया है, की सूचना मा0 सदस्य द्वारा कर दी गयी थी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जांच कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार भूखण्ड-490/05-14-06 बन्दोबस्त आ0 पत्र-45 में नवीन परती के खाते में दर्ज है जो वर्तमान खतौनी 1408-13 फ0 में क्रमशः 0.253 हे0 नगेसर पुत्र मथुरा के नाम संक्रमणीय एवं मगरू पुत्र दौलत, शिवलाल पुत्र राम अवतार, हरिलाल पुत्र सतीदीन व नगेसर पुत्र मथुरा प्रत्येक के नाम 0.253 हे0 असंक्रमणीय भूमि स्वीकृत दिनांक 23-3-88 दर्ज है। 0.177 हे0 चारागाह के खाते में दर्ज है। पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं है। गाटा सं0-822/06-07-09 विगहा बन्दोबस्त आ0पत्र-45 में नवीन परती दर्ज है। वर्तमान खतौनी 0.087 प्रेमावती पत्नी साधु 0.089 हे0 माता प्रसाद पुत्र जगत नारायण, 0.253 श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण 0.202 सुग्रीव सिंह पुत्र रामविलास सिंह के नाम जरिये नीलामी नायब तहसीलदार के आदेश दि0 16-12-99 व 1.138 हे0 सुग्रीव सिंह पुत्र राम विलास सिंह के नाम जरिये पट्टा दाखिल-खारिज तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-9-84 नामान्तर बही में अंकित आदेश के आधार पर दर्ज है। गाटा नं0-1481/01-01-16 बन्दोबस्त आ0पत्र-45 में नवीन परती दर्ज है। वर्तमान खतौनी में 0.190 हे0 रामसजीवन पुत्र स्वामीनाथ, 0.087 रामगनेश पुत्र रामनाथ के जरिये पट्टा स्वीकृत आदेश दिनांक 22-9-83 दर्ज है। किन्तु यही भूखण्ड राजेन्द्र सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह के नाम असंक्रमणीय खाते में दर्ज है, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। गाटा सं0-775/01-15-01 बन्दोबस्त आ0पत्र-45 में गोमती देवी पत्नी रामेश्वर दयाल के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। वर्तमान खतौनी में गिरजाशंकर पुत्र भगौती प्रसाद के नाम संक्रमणीय भूमि है। पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं है। गाटा सं0-508/2534 रकबा 01-15-10 बन्दोबस्त आ0 पत्र-45 में नवीन परती के खाते में दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में न्यायालय उप जिलाधिकारी, अमेठी के वाद सं0-18 तारिख फैसला 17-01-02 द्वारा जरिये प क-23 धीरेन्द्र सिंह व अमरेन्द्र सिंह पुत्रगण लाल बहादुर के नाम असंक्रमणीय भूमिधर है। गाटा नं0-510 रकबा 08-00-15 में पांच खातेदारों के नाम आ0पत्र-45 में संक्रमणीय खाता दर्ज है। गाटा नं0-510छ रकबा 01-13-15 बंजर खाते में दर्ज है। वर्तमान खतौनी में 0.202 हे0 मेवालाल पुत्र फेरई, 0.126 श्रीमती ननका पत्नी लाल बहादुर व 0.190 हे0 राजेन्द्र सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। इस भूखण्ड में मेवालाल को पट्टा स्वीकृत दिनांक 22-9-83 से, राजेन्द्र सिंह व ननका देवी तहसीलदार के पट्टा दाखिल-खारिज आदेश दिनांक 19-10-85 से दर्ज है।

गाटा संख्या-551/03-12-10 व 565/01-04-00 बन्दोबस्त में तालाब दर्ज है। वर्तमान खतौनी में श्रीमती ननका देवी पत्नी लाल बहादुर के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। गाटा सं0-1164/0-1-0 बन्दोबस्त में रामहर्ष सिंह पुत्र कालिका सिंह के नाम 0-17-00 बीघा व साधू सिंह पुत्र भगौती सिंह के नाम 00-03-00 बीघा संक्रमणीय भूमि दर्ज है। गाटा सं0-2110/04-07-10 बन्दोबस्त में भगौती दीन सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह के नाम 00-15-12-बीघा व रामहर्ष सिंह पुत्र कालिका

के नाम 00-06-04 बीघा संक्रमणीय भूमि है। इस भूखण्ड में 03-05-14 बीघा बन्दोबस्त में मतरूक है। गाटा सं0-1164क व 2110ख को धारा-161 ज0 वि0 अधि0 के तहत तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-6-83 के द्वारा ग्राम सभा की गाटा सं0 795 से परिवर्तित किया गया किन्तु वर्तमान खतौनी में उक्त भूखण्ड ननका देवी के खाते में अंकित है। उपरोक्त फर्जी ढंग से अंकित भूमि को तहसीलदार अमेठी द्वारा निरस्तीकरण हेतु आख्या दिनांक 7-10-04 को उप जिलाधिकारी अमेठी को प्रेषित की गयी। उप जिलाधिकारी के न्यायालय की कार्यवाही को अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के आदेश दिनांक 16-12-04 के द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

गाटा संख्या-510, 551, 565, 1164क, 2110ख पर श्रीमती ननका पत्नी लाल बहादुर सिंह का नाम फर्जी तौर पर अंकित है जिसके सम्बन्ध में निरस्तीकरण का वाद अपर आयुक्त (न्यायिक) फैजाबाद के यहां विचारार्धीन है। गाटा संख्या-1481 पर राजेन्द्र सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह के नाम प्रथम दृष्टया संदिग्ध होने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। शेष गाटा संख्या-490, 775 में प्रश्नगत व्यक्तियों के नाम कोई खाता वर्तमान खतौनी में नहीं है। गाटा संख्या-822 व 508/2534 नामान्तरण बही पर उल्लिखित न्यायालय के आदेश के द्वारा अंकित है।]

जनपद झांसी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान श्री नन्द सिंह चौहान की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[जिलाधिकारी, झांसी से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद में दिनांक 01-03-2005 से दिनांक 10-03-2005 तक हुई ओलावृष्टि से तहसील झांसी के 61 ग्राम, तहसील मोठ के 123 ग्राम तहसील मऊरानीपुर के 148 ग्राम, तहसील गरौठा के 180 ग्राम तथा तहसील टहरौली के 23 ग्राम अर्थात् कुल 446 ग्राम प्रभावित हुए हैं। इनमें से 96 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक तथा 350 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम रबी की फसलों की क्षति हुई।

ओलावृष्टि से तहसील मऊरानीपुर के ग्राम अमनपुरा में एक व्यक्ति श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह की दिनांक 04 मार्च, 2005 को मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी द्वारा आपदा राहत निधि से इनकी वारिस पत्नी श्रीमती पार्वती देवी को दिनांक 15-03-2005 को रु0 50,000/- की अनुग्रह अनुदान सहायता प्रदान कर दी गई है। आई0 सी0आई0 सी0 आई0 लाभवार्ड बीमा योजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवार का दावा सक्षम अधिकारी को भेजा गया है। ओलावृष्टि से किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई न ही कोई पशु घायल हुआ। ओलावृष्टि से कोई व्यक्ति भी घायल नहीं हुआ।

ओलावृष्टि से जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक रबी की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन ग्रामों में राजस्व देयों की वसूली तथा सहकारी देयों की वसूली में सहानुभूमि बरतने तथा फसली ऋण के सम्बन्ध में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करने के निर्देश सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, झांसी को दिये गये हैं। भूमिहीन मजदूरों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में विकास खण्डों के माध्यम से अलग से कार्य योजना बनाई जा रही है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार आपदा से व्यक्तियों की हुई क्षति से सापेक्ष क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देश शासनादेश सं0-जी0आई0-156/1-11-2004-46/96, दिनांक 01 मार्च, 2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं। दैवी आपदा से जहां कृषि, उद्यान, वार्षिक व बहुवर्षीय फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होती है वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों के असिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 1000/-, पूर्ण सिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 2500/- तथा बहुवर्षीय फसलों के लिये रु0 4000/- प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान है। लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को उनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति पर रु0 1000/- प्रति हेक्टेयर की दर से 2 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक राहत सहायता (कृषि निवेश अनुदान) दिये जाने का प्राविधान है। मद एवं मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

ओलावृष्टि से फसलों की क्षति का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार अनुमन्य राहत सहायता वितरित कराये जाने के निर्देश दिनांक 12 मार्च, 2005 को दे दिये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग, कृषि विभाग व भूमि संरक्षण विभाग तथा खण्ड विकास अधिकारियों की टीम बनाकर ग्रामवार विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तद्नुसार क्षति के वास्तविक आंकलन के आधार पर नियमानुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जायेगा।]

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद एवं होली की बधाई

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, अब हम लोग विधान सभा के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के समापन की तरफ या सत्र के समापन की तरफ।

श्री अध्यक्ष-

इस विधान सभा के सत्र के समापन की ओर। आप तो एक लाइन आगे सोच लेते हो। उसमें आपको ही खतरा है। मुख्य मंत्री जी.....

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में मेहनत और लगन से रात देर तक काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रुपये 1100-1100 मानदेय के रूप में दिये जायेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन के सभी माननीय नेता, माननीय नेता विरोधी दल लाल जी टण्डन और दूसरे जो नेता यहां नहीं बैठे हैं ? आप जानते ही हैं कि क्यों ? पता नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राय साहब क्या सोचते हैं ? लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते ही नेता बी0 एस0 पी0 नहीं आये हैं। अगर लोकतंत्र खत्म होता तो कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। यह महत्व है लोकतंत्र का कि उस लोकतंत्र में जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका पालन न करना, और वह भी आज के दिन हम जानते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं, एक एक मिनट बचाने का आपसे अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था को हम तोड़ दे तो यह अच्छा नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि हम अस्वस्थ हैं, व्यस्त हैं। मजबूरी तो नहीं है, लेकिन परम्परायें हैं अध्यक्ष महोदय। हम कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये संविधान और कानून होता है लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये लोकतांत्रिक परम्पराएं भी हैं। इंग्लैण्ड में लिखित संविधान नहीं, परम्पराएं हैं। यहां पर जिन लोगों ने परम्पराओं का पालन किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ा सहयोग किया। माननीय नेता कांग्रेस पार्टी नहीं हैं। वह हम जानते हैं कि क्यों नहीं हैं। वे अभी सम्मानित होंगे। और पार्टियों के नेताओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने भी बहुत सहयोग किया। हमारी अनुपस्थिति में जब कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हुई लेकिन आपने सहृदयता से, सबको विश्वास में लेकर उन समस्याओं का समाधान किया। इस सदन के संचालन में बहुत दिनों के बाद आपने ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका, आसन के माध्यम से, निभाई है। मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

हमारी जो संसदीय परम्परायें हैं, विशेषकर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थायें हैं, उनके आप विद्वान हैं। आज से ही नहीं, जब आप प्रथम बार विधान सभा में चुनकर आये थे तब से आपके बारे में मुझे जानकारी है। मैं सदन की तरफ से, पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारी सहयोगी पार्टियों की तरफ से, निर्दलीय विधायकों की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी इस सदन में अग्रणी भूमिका निभाई है। जिस तरह से आपने निष्पक्षता और साहस से भूमिका निभाने का काम किया, उसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी निष्पक्षता और साहस से भूमिका निभाने का काम किया है। मैं इसके लिये इनको धन्यवाद देता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

जहां तक नेता विरोधी दल का सवाल है इस का दुख होता है कि वह सत्र की परम्पराओं को निभाते हैं लेकिन कुछ लोग उनको नेता विरोधी दल से हटाने की कोशिश करते हैं। यह पद अमर नहीं है। जो आपकी कार्यशैली है, विचारधारा है, जिस सिद्धान्तों को कार्यक्रमों को लेकर आज जीवन में चले थे, उन सबको पूरा करने में आप सक्षम हैं। हमें भी काफी समय पहले यहां भी और संसद में भी बैठने का मौका मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां रचनात्मक भूमिका निभाई है। जहां आलोचना करनी थी वहां आलोचना की और जहां सुझाव देने थे, सुझाव भी दिये। यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा है, आलोचना करना, लेकिन ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से कार्यवाही में इसलिये बाधा डाली जाए कि समाचार पत्रों में छप जाए। इससे मैं समझता हूं कि नेतृत्व नहीं होता। एक बार हमारे सामने एक समस्या आ गई। हम एक बार वेल में आये। जब वेल में आये तो फिर उठे नहीं, रात के दो-ढाई बजाकर गये। सामने के दरवाजे खोल दिये गये। हमें वहां थोड़ी नींद भी आ रही थी। उस समय आप मुझसे थोड़ा अलग थे। उन परिस्थितियों में, उस समय हम

80 विधायक के आसपास थे। विभिन्न दलों के कार्यकारी मोर्चे बने। हम मांग कर रहे थे कि नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव कराये जायें। उसकी तारीख और समय की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जी थे उस समय अम्मार रिजवी साहब। तो यह परम्परायें रही हैं, सदन के द्वारा, पक्ष और विपक्ष दोनों की। कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि आपसी संवाद खत्म हो गया। नमस्कार पर भी अंकुश था। नमस्ते भी नहीं कर सकते थे। राजनीतिक क्षेत्र हमारा-आपका दोनों का है लेकिन इस सदन में उन परम्पराओं को, जिन्हें खत्म कर दिया गया था, सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने मिलकर, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी नेताओं के सहयोग से, उस परम्परा को स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा बी0एस0पी0 के नेताओं की तरफ से अच्छा नहीं लगा था। क्या मजबूरी है ? लेकिन हमें खुशी है कि अब वह आये हैं। लेकिन दहशत में हैं। तब ऐसे विधायक होने का मतलब क्या है ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह परम्परायें जो पुनस्थापित हुई है, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस पार्टी और अन्य जो नेता हैं, उन सभी का इसमें सहयोग मिला है। कुछ समय तक बी0एस0पी0 के नेता ने भी सहयोग किया, लेकिन आखिर में पता नहीं क्या हो गया।

आज के बाद हम सभी को अपने-अपने क्षेत्र में जाना है। मैं आभार व्यक्त करूंगा और मुझे खुशी होती है कि हम हंसते हुए सब मिलेंगे और जहां भी हमारी सरकार के स्तर की बात होगी, टेलीफोन भी करेंगे या जो भी सूचना हो, आपकी समस्याओं को लेकर, हमारे अधिकारी हैं, हम लोग उनका पालन करेंगे और जब आप फोन करके मिलने की कोशिश करेंगे तो मिलेंगे। ऐसे ही आ जायेंगे, तो भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। नेता विरोधी दल की शिकायत है कि आप नहीं मिलते हैं। लेकिन हम जो छुट्टी लेकर ही जाते हैं। हम तो अन्य माननीय नेताओं से भी छुट्टी ले लेते हैं कि आज सदन में नहीं आ पायेंगे। यह जो सदन चला है, इसमें सब का सहयोग है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, बी0एस0पी0 का थोड़ा कम रहा है। मुझे खुशी होगी कि आगे जब सदन बैठे तो बहुजन समाज पार्टी का भी पूरा सहयोग मिले। एक अच्छा वातावरण है। हम लोग आदर्श हैं जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और उसी के आधार पर सारे देश की विधान सभाएं चलती हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के बड़े-बड़े नेता इस विधान सभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जो प्रधान मंत्री बने हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी इस सदन के सदस्य रहे हैं, जो प्रधान मंत्री बने। वी0 पी0 सिंह भी इस विधान सभा के सदस्य रह करके देश के प्रधान मंत्री रहे। तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा का ऐसा इतिहास रहा है। इसलिये हम चाहते हैं कि अगले सत्र में जब आयें, जनहित की समस्याओं को रखें और उन पर बहस हो। बहस की राजनीति जो खत्म हुई है, उसी के कारण यह समस्याएं पैदा हुई हैं, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो या भूमाफियाओं की समस्या हो। बहुत बड़ा राजनीतिक संकट देश के सामने है क्योंकि व्यवस्था है और मिली-जुली सरकारें चल रही हैं। इन परिस्थितियों में कितनी समस्याएं होती हैं। राजनीतिक संकट है। उस राजनीतिक संकट भी खतरे की घण्टी है, हमें सावधान होना चाहिए। इससे जनता का विश्वास उठ रहा है, कुछ दलों से भी उठ रहा है। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। और चाहे यह दल सत्ता में रहे, चाहे आप रहें लेकिन जो विचार, कार्यक्रम और नीतियों को लेकर संघर्ष होता था। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई दल कोई नेता किसी अच्छे उद्देश्य के लिये बहस छेड़ता था तो उस पर प्रतिक्रिया होती थी और वह विषय बहस का मुद्दा बनता

था। इसलिए हम चाहते हैं कि नीति और आलोचना का समर्थन हो। हम अच्छी परम्परायें बनायें और चिंतन करें कि उत्तर प्रदेश और देश के विकास का सवाल आपके सामने हैं, तो उसके विकास के लिये हमारी-आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे देश की दृष्टि आप पर लगी है। इसमें आपका सहयोग है। जो नीतियां हमने बनायीं, उसमें आपका पूरा समर्थन और सहयोग मिला है, क्योंकि हर नीति का आपने समर्थन किया है। चाहे बिजली की नीति हो, चाहे खाद्य की नीति हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी की नीति हो, सभी नीतियों का आपने समर्थन किया है और कुछ में आपने हमें सावधान भी किया है।

कल विकास परिषद् की बैठक में बड़े-बड़े उद्योगपति आये और उन्होंने सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए और घोषणाएं करेंगे। मुझे खुशी है है कि उत्तर प्रदेश की नीतियों को देश के अन्य राज्यों को भी अपनाना पड़ा है। इसी तरह से योजना आयोग के सचिव का भी भाषण है। एक और योजना आयोग के सदस्य थे, उनका भी भाषण था। उसमें आपके प्रदेश की चर्चा है। आपके प्रदेश का सम्मान केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हमारी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने की जो बात कही गयी थी, वह कोई नारा नहीं था बल्कि संकल्प था। उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि जो सहयोग आपका अब तक रहा है, वह आगे भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ होली की शुभकामनाओं के साथ हम कामना करते हैं कि इसी तरह से स्वस्थ रहकर हम फिर सदन में मिलेंगे।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह सत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत दिन बाद यहां पर चर्चाएं भी हुई हैं और तमाम सूचनाएं भी ली गयी और अधिक से अधिक विधायी कार्य भी हुआ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सदन का संचालन करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपने उसको यथासम्भव बहुत अच्छी तरह से निभाया है और आपके सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष जी और जो अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं उन्होंने भी उस कुर्सी पर बैठकर कभी पक्षपात नहीं किया। मान्यवर, आपकी इस कुर्सी के साथ श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का नाम जुड़ा हुआ है। आदमी कितने दिन सदन का सदस्य रहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके कामों को कितने दिन याद रखा जाता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका नाम सारे देश में एक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान आज भी जीवित है। जब कभी संसदीय परम्पराओं की चर्चा होती है तो उनका नाम याद किया जाता है।

मान्यवर, आपके और अधिष्ठाता मण्डल के बाद सदन को चलाने की जिम्मेदारी नेता सदन की भी होती है और मैं कह सकता हूं कि नेता सदन ने भी कटु आलोचनायें सही हैं। कभी-कभी वह उत्तेजित हो जाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

केवल एक बार ही हुआ हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मैं चाहता हूं कि एक बार भी ऐसा क्षण न आये जब नेता सदन उत्तेजित हों या मैं उत्तेजित हूं। हमारे वार्तालाप से ही, हम सदन में जो बोलते हैं उससे सदन का वातावरण बदल जाता है। मान्यवर, यह मैंने कोशिश की है, कुछ हास परिहास इस सदन में इस बार आये इसके लिये प्रमोद कुमार जी खास तौर से उसमें मददगार रहे हैं। तो मान्यवर, हास्य और व्यंग्य संसदीय भाषा का अलंकरण है, अलंकार है। पहले एक जमाने में जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो इस सदन के कुछ सदस्य, जो बड़े-बड़े सदस्य रहे हैं, बोलते थे तो हम सुनने आते थे कि क्या बोल रहे हैं और उससे हमको मेटीरियल मिलता था। हम भी राजनीति करते थे तो बहुत सा मसाला मिल जाता था। आज धीरे-धीरे उस परम्परा का क्षरण हो रहा है उसे बचाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब यह नहीं हुआ कि एक दूसरे के हम शत्रु हो गये। हमें एक जिम्मेदारी दी गयी है संविधान में सरकार के कामों की आलोचना करना।

श्री मुलायम सिंह यादव-

गलत कामों की।

श्री लालजी टण्डन-

हर कार्यों पर, गलत हो, सही हो दोनों पर अपनी राय अच्छी या गलत, जो भी हो वह सदन के सामने रखना। केवल हर समय यह कि हम सरकार को कटघरे में घेरे रहें हमने ऐसा नहीं किया। हमने कुछ मित्रों की तरह ऐसा नहीं किया कि सरकार का ढोल पीटते रहें और बाहर जाकर विरोध किया। आपको पारदर्शी होना चाहिए। जो आप यहां कहें, वहीं बाहर जाकर कहना चाहिए। जितने भी सदस्य है सबसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे सम्मान नहीं मिला या मेरी बातों को महत्व नहीं मिला ऐसा नहीं हुआ। सभी सदस्य चाहे कितने भी टेंशन में रहें, मैं खड़ा हुआ तो शान्त हो जाते थे। यही त्रिकोण सदन को सार्थक बहस की तरफ से जाता है। मान्यवर, आज कुछ सूचनाओं में कहा है कि कार्यवाही हुई, मेरी सूचनाओं पर भी कार्यवाही हुई, सरकार ने इस पर हठधर्मिता नहीं दिखायी, जो करना था वह किया और विषय समाप्त हो गया। क्योंकि यहां पर ब्योरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाना यह अपोजिशन का काम ज्यादा है बनस्बत सत्ता पक्ष के। जहां कहीं पर किसी सदस्य के साथ कोई अधिकारी अभद्र व्यवहार करता है, अवमानना करता है वह सदन की अवमानना मानी जानी चाहिए और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए तो यह शुरुआत हुई है (तालियां) इसे कठोरता से लागू करें तो देखेंगे बहुत सी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जायेंगे। आज इस सत्र का सत्रावसान होगा, अनिश्चित काल के लिए, हम ठीक इसके पहले आप सबको, मान्यवर, आपको, नेता सदन को और साथ में संसदीय कार्य मंत्री जी को, उनको मैं अक्सर कठोर बात कह देता हूं.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

कभी नहीं, आप मेरे लिए, मेरे बड़े बुजुर्ग का दर्जा रखते हैं। आप याद रखें और मुझे भी याद है, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मेरे मन में किसी के लिये कोई भी दुर्भावना कभी भी नहीं रही है। यह मेरी कमजोरी है कि मैं बड़ा भावुक होकर जवाब देता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

विनम्रता जो है वह लोगों का आभूषण होता है। जो मेरी बुजुर्गियत के बारे में आपनें कहा है तो मैं उसके सन्दर्भ में केशव दास जी की कुछ पंक्तियां कह रहा हूं-

"केशव केसनि असि करी, जसि अरिहू न कराय,
चन्द्र मुखी, मृग लोचनी, बाबा कहि-कहि जाय।"

तो आप मेरी खोपड़ी को देख करके मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

कभी इस भ्रम में आप न पड़ जाना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं कभी भी भ्रम में नहीं पड़ा। वैसे भी बुजुर्गी उम्र से तय नहीं होती, बुजुर्गी उसके तकवे, नेकी और अमल से तय होती है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य हंसने लगे।)

श्री लालजी टण्डन-

हम चाहते हैं कि अन्तिम दिन हम सब यहां से हंसते हुए जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं एक शेर कह रहा हूं-

"गो हाथ में जुम्बिस नहीं, आंखों में तो दम है,
रहने दो अभी सागर-ओ-मीना मेरे आगे।"

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, कौन यहां पर विपक्ष है और कौन यहां पर सत्ता पक्ष है, कौन किससे नाराज हुआ था, कौन किससे मिला था, इसकी चर्चा करने की जरूरत रही है। अगली बार फिर जब हम मिलेंगे तो और अच्छी परम्परायें डालने की कोशिश करेंगें, सदन को और सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। माननीय बाजपेयी जी ने एक सुझाव दिया था कि जो इनको मानदेय देते हैं उसमें हर साल दस प्रतिशत बढ़ा देते हैं, अगर ऐसा सम्भव हो तो इस पर अवश्य विचार कर लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पिछले साल भी आपने दस प्रतिशत बढ़ाया था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम इसे देखेंगे, अगर हो सकेगा तो हम बढ़ा देंगे।

मान्यवर, मेरे द्वारा कुछ बातें कहने को छूट गयी थी, उन्हें मैं कह देता हूं। माननीय प्रमुख सचिव पाण्डेय जी, सब अधिकारी और कर्मचारी यहां रहते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है और उन सबने सहयोग किया है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सुरक्षा बल के भी जो अधिकारी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं

जिन विषम परिस्थितियों में आपने सदन को चलाने में अपनी भूमिका निभाई। पत्रकार लोग भी हैं, जिन पर मैं टिप्पणी भी करता रहा, उसके बाद भी वह प्रसन्न रहे और हम पर कोई खास टिप्पणी नहीं की और हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमारी विधान सभा की कार्यवाही को पूरे देश में छाप करके एक आदर्श असेम्बली का दर्जा प्रदान किया। आज मुझे खुशी भी है कि आखिरी लड़ाई में जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, डा0 राम मनोहर लोहिया जी, उनकी आज जन्मशती है, इस अवसर पर हम एक छोटे से पार्क का लोकार्पण कर रहे हैं। हम सभी सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं खासतौर से विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को हम आमंत्रित करते हैं। अगर इसके लिए उन्हें इजाजत लेने की आवश्यकता हो तो वह जरूर इजाजत ले लें और अगर आप कहेंगे तो हम भी इजाजत मांग लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी पार्क में आएं, जनता का पार्क है, नाम जरूर डा0 राम मनोहर लोहिया जी का है। यह किसी से छिपा नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, होली दो दिन बाद होगी तब हम सदन में किसी सत्र में इस स्वरूप में नहीं बैठे होंगे। तो श्रीमन् यह भी मेरा जो फर्ज है उसके अन्तर्गत होली की बधाई अग्रिम रूप से दे रहा हूं। और मान्यवर, जो प्रमुख सचिव, विधान सभा हैं। और आपके सचिवालय के जो अन्य अधिकारी व कर्मचारी हैं, रक्षकगण हैं और जो दूसरे अनुसेवक हैं और जिन्होंने पूरे सत्र भर हम लोगों की सेवा की है उन्हें भी मैं होली की बधाई और शुभकामनायें देता हूँ। और इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी होली की शुभकामनायें अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता, बहुजन समाज पार्टी बोलेंगे ? नहीं बोलेंगे।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कल ही की बात है ऐसा लगता है कि फरवरी के महीने के शुरुआत में हमने इस सदन के बजट सत्र को प्रारम्भ किया था और मान्यवर, इतनी जल्दी बजट सत्र का अन्तिम दिन आ गया है, सहसा ऐसा विश्वास नहीं होता कि हम यहां इतने लम्बे दौर तक बैठे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, अध्यक्ष महोदय, नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी आपको बधाई देते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष लालजी टण्डन जी हम आपको बधाई देते हैं और सारे सदन को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, कई वर्षों के बाद माननीय उपाध्यक्ष जी उस जगह पर बैठे हुए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

चुनाव भी उपाध्यक्ष का समय पर हमने करा दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

तो उपाध्यक्ष महोदय और अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों को भी बधाई देता हूँ। मान्यवर, आज मुझे गर्व हो रहा है उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य होने के नाते कि जहां हम अखबारों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह पढ़ रहे हैं कि बहुत से विधान सभाओं का बजट सत्र आज से या कल से शुरू हो रहा है वहीं हम सबने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 31 मार्च के भीतर ही अगले वर्ष का बजट पारित कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह नई स्वस्थ परम्परा का पालन हमने किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह कई वर्षों के बाद हुआ है और यह परम्परा कांग्रेस ने डाली थी जिसमें समय से बजट पास हो जाता था। आज मान्यवर, बहुत सी परम्पराएं टूट गई हैं कांग्रेस के जाने से। माननीय मुलायम सिंह जी कुछ हमारे रास्तों पर चलने लगे हैं मुझे अच्छा लग रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब हम रास्ते पर चल पड़े हैं तब आप फिर क्यों उधर बैठें हैं आपको इधर आना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह आपके निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी आपके निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निमंत्रण हमने आपको एक दूसरे को दिया है। हम जहां हैं वहां हैं। आप जहां है, वहां हैं। भूल से भी हुकुम सिंह जी को निमंत्रण न दे दीजिएगा। यह तुरन्त आ जायेंगे। मान्यवर, हर राजनीतिक दल समृद्धशाली है। हुकुम सिंह जी ने सभी दलों की शोभा बढ़ाई है। अब अन्तिम दिनों में वे खराब शोहबत को छोड़कर अच्छी शोहबत में आ जायेंगे।

मान्यवर, सदन जब आज समाप्त हो रहा है तो सबकी खोखली हंसी उनके चेहरों पर है दिल से कोई नहीं हंस रहा है। मान्यवर, मैं तो यह भी नहीं समझता हूं कि आपके चेहरे पर जो सदा बहार मुस्कराहट रहती है वह भी नहीं दिखाई पड़ रही है जो हम लोग देखते रहे हैं। उसका कारण मुख्य मंत्री जी आप हैं। होली की बधाई आप हमें दे रहे हैं किस मन से दे रहे हैं। जब हम लौट कर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे तो क्या लेकर जायेंगे ?

मान्यवर, जब हम चले थे बजट सत्र के लिए तो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कहकर आये थे कि दो-तीन महीने न आयें तो समझ लेना तुम्हारे लिये कुछ लेने जा रहे हैं। मान्यवर, ऐसे ही राजनीतिज्ञों की बात में विश्वास लोग कम करते हैं, घर में नहीं होता है तो बाहर की बात छोड़ दीजिए, तो हम लौटकर जायेंगे तो उनसे क्या कहेंगे ? वह कहेंगे कि वह वाला हैण्डपम्प लगा तो क्या जवाब दूंगा ? तो माननीय मुख्य मंत्री जी, आप तो राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य हैं जन्म दिन पर देने लेने की परम्परा है और आज तो राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन है आप इतना बड़ा राम मनोहर लोहिया पार्क दे रहे हैं तो हम लोगों को 100 हैण्डपम्प दे दीजिए। आज तक आदेश नहीं पहुंचा है। मान्यवर, लोहिया जी से बड़ा कोई नहीं है। उनसे मत बात कीजिए मुझसे बात कीजिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब प्रमोद कुमार जी ने भूमिका बनाई तो मैंने नेता जी से कहा कि तैयार हो जाइये कुछ उधर से मांग आने वाली है 50 और 100 की नेता जी ने घोषणा की है।

श्री प्रमोद कुमार-

50 पिछले साल का है और 100 इस साल का है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप 100 मांग रहे थे नेता जी ने डेढ़ सौ नल दे दिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 50 हैण्डपम्प 2004-2005 का है और 100 हैण्ड पम्प 2005-2006 का है। वह चाह रहे हैं कि 2004-2005 के लिए 100 हैण्डपम्प हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी की मंशा है कि जो 50 नल नेता जी ने घोषित किये थे उन्हें 100 कर दें तो नेता जी उसे पहले ही 100 कर चुके हैं, घोषणा मैं किये देता हूं। अब 200 हो गये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, लोहिया जी कहा करते थे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव में पहुंचा तब तक नहीं जा सकता जब तक सड़क न हो तो मान्यवर, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा विनम्रतापूर्वक कि आज आपने आजम खां को मौका दे दिया लेकिन अपने छोटे भाई को मौका दीजिए यह भी 10-5 किलोमीटर सड़क की घोषणा कर दें। शिव पाल जी घबराये नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमारी कार्यप्रणाली देखिये कि सरकार के अपने साथी से हम कहते हैं कि डंडी न मारियेगा जो स्वीकृतियां शिवपाल जी कर चुके हैं उससे अलग यह घोषणा होगी।

श्री शिव पाल यादव-

अध्यक्ष जी, वैसे तो प्रमोद जी को तो मैं बहुत सी सड़कें दे चुका हूं और बहुत से सदस्यों को दे चुका हूं लेकिन जैसा कि आज प्रमोद कुमार जी ने कहा 25-25 लाख की जो सभी से मांगा है, वह पूरी हो जायेगी। मरम्मत का पूरा होगा। वैसे कोई जिला बचा नहीं है, अगर बचा होगा तो हम दिखवा लेंगे। आपको तो कई रोडें मिल चुकी हैं। मैं देख लूंगा। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि 5-5 किमी0 शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में सड़क बनवायेंगे, हाटमिक्स प्लान्ट से बनवायेंगे, ऐसी सड़क बनवायेंगे जो पहले कभी बनी नहीं होगी।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात मानिये या न मानिये, लेकिन एक बात जरूर मान लीजिये। माननीय टण्डन जी को क्विप इश्यू करें कि माननीय खन्ना जी की शादी अगले सत्र से पहले जरूर हो जाये, इसका कोई न कोई प्रबन्ध जरूर करा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम जानते हैं कि प्रमोद जी को विधान सभा में क्यों आना पड़ा। यह टाइमबार्ड अर्पीलें करते हैं और ऐसी अर्पीलें फेल हो जाती हैं। ऐसी अर्पीलें लिमिटेशन के प्वाइंट पर हमेशा फेल हुयी हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इनके हौसले की तारीफ करता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि इनको अपने नेता से सबक लेना चाहिये। वह कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं और यह अभी से अपने को टाइमबार्ड समझने लगे हैं। मान्यवर, इस सदन में हमने बहुत अच्छे क्षण भी देखे, बहुत मधुर क्षण भी देखें। शून्य प्रहर भी खूब चला, प्रश्नकाल भी चला, चर्चायें भी हुयीं। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपको और पूरे सदन को कि आपके द्वारा नये सदस्यों को बोलने का खूब मौका मिला। उन्होंने जी भर के बोला। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक चीज कही और उन्होंने तो पहले दिन शंका पैदा कर दी थी जब राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विश्वास मत प्रस्ताव मान लीजिये, कहा था और अभी कहा कि हम बहुत जल्दी इसी सदन में फिर मिलेंगे। इसका मतलब है कि विधान सभा का कार्यकाल बना रहेगा, यह आप कहीं न कहीं बोलेंगे जरूर। इससे विधान सभा की परम्परा का निर्वाह होगा। बाहर तो आप कह ही चुके हैं आप यहां भी कहें कि पूरे 5 साल यह विधान सभा चलेगी, इसकी विधान सभा में घोषणा आप करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हमने बाहर भी कहा और यहां भी कहना चाहते हैं। माननीय प्रमोद कुमार जी, आप अपने दिल्ली के नेताओं को समझा दें। हमारे जीवन की एक ही पूंजी है कि हम जो कहते हैं, उसका पालन करते हैं। हम यहां 3 दिन लगातार मौजूद रहे। हम यहां आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह विधान सभा भंग नहीं होगी, अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल तक चलेगी। लेकिन अपने नेताओं को प्रमोद कुमार जी बता दें, रोजाना वह सरकार बर्खास्त करवा रहे हैं। आपका तो अंकुश उन पर है नहीं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं और हम शंकाओं को दूर करते हुये सदन में यह कहते हैं कि यह विधान सभा भंग नहीं होगी लेकिन आपके कुछ साथी ही यह फैला रहे हैं कि विधान सभा भंग हो जाएगी। अभी तक सरकार मार्च में ही जा रही थी, इस बात का बहुत तेजी से प्रचार कर दिया था। मैं आपका अभी अभिनन्दन करूंगा, आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत ही परिपक्वता है आपके पास, समय है, चिन्तन भी है और अब रास्ता भी खुल गया है। आपको तैयार हो जाना चाहिए और यहां आज़म साहब के बगल में आ जाना चाहिए। हम किसी भी विधायक को निश्चितता से अनिश्चितता की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। अभी दो साल बाकी हैं, अभी चुनाव करा देंगे तो पता नहीं कौन आयेगा और कौन नहीं आयेगा। आप तो शुभकामनाएं दे ही चुके हैं कि इसी तरह से फिर मिलेंगे। आप इसी तरह से विश्वास दिलाते रहेंगे और आपके ही कुछ साथी लोग हैं जो कि भ्रम पैदा करते रहते हैं। मैं आज यह चाहूंगा कि जो भ्रम बना हुआ है, यह खत्म हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह विधान सभा पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चूंकि आपने सन्दर्भ दिया प्रमोद जी का, तो प्रमोद जी उनसे सहमत नहीं हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप इस बात को स्पष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह पीछे से तीसरे मोर्चे की बात करके कब पीछे हट जायेंगे, कुछ पता नहीं। अब यह तीसरे मोर्चे का जिक्र समाप्त कीजिए। मैं आपसे आगे कहना चाहता हूं कि आज हम अच्छी यादों

के साथ विदा ले रहे हैं। यह मेरा कर्त्तव्य भी था और मैंने अपने फर्ज को निभाते हुए तथा अपने दल की नीतियों को रखते हुए कहीं आलोचना भी की होगी और मेरी आलोचना से अगर किसी माननीय सदस्य को कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह इस कड़ुवाहट को यहीं पर छोड़कर जाए। यहां पर कुछ इतने अच्छे भी लोग हैं, जिनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है, यह भी सही है। हमें तो जब भी गुस्सा आता है तो मैं टण्डन जी की ओर देख लेता हूं, बस, गुस्सा समाप्त हो जाता है! अगर मुझसे कोई कहे कि सदन के रिश्ते को बता दो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि नेता सदन और नेता विरोधी दल में जितना गहरा और आत्मीय रिश्ता मैंने देखा है, वह शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों ही लोगों को ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है, बिलकुल एक दूजे के लिए। दोनों लोगों ने कसम भी खायी है, आग नहीं जल रही थी इसलिए फेरे नहीं लिये, लेकिन कसमें खायी हैं, सदा साथ निभाने के लिए, ईश्वर करे हमेशा आप दोनों का यह साथ बना रहे।

श्री मोहम्मद आज़म खा-

(बैठे हुए)-यह रिश्ता इसी तरह से रहे।

श्री प्रमोद कुमार-

यह तो मैं नहीं कह सकता कि इसी तरह से बना रहे। हम वहां पर आ जाएं, इस बात की हमारी भी इच्छा हमेशा रहेगी और मेरा मन कहे तो मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि यह यहां पर भी न रहें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का रिश्ता क्या है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है और सच पूछिये तो टण्डन जी में ममता भी है और माधुर्य भी है, अभी खटपट भी होती है, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष में बिलकुल वैसा ही होता है, जैसे कि पति और पत्नी के बीच में होता है, कुछ खटपट होती है और ठीक हो जाता है, इसलिए मान्यवर, दोनों लोगों में पति-पत्नी का रिश्ता है। पिछली बार मैंने कहा था कि टण्डन जी को देख करके किसी मां की याद आती है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके अन्दर कितना ममत्व है, प्यार है और स्नेह है। भगवान करे ! यह स्नेह और प्यार उम्र के साथ-साथ बढ़ता ही जाए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

टण्डन जी, कुछ आप भी जवाब दे दीजिए।

श्री लालजी टण्डन-

जो रिश्ता आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें मां के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये (मा0 नेता सदन) आपको बाप दिखते होंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो रिश्ता परदे के अन्दर था, वह स्वीकार कर लिया। मैं मां-बाप की बात कर रहा था, बारातियों की बात नहीं कर रहा था। आप मां हैं, वह बाप हैं और हम तो बाराती हैं, जहां बाप बारात ले करके जायेगा, वहां हम चले जायेंगे। न हमेशा बाप रहते हैं, न मां रहती है लेकिन बाराती गवाही रहते हैं। अन्त में आभार व्यक्त

करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी आपका कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी के रूप में इस सदन को अध्यक्ष मिला है, जो एक गरीब के झोपड़े से निकल कर इस सर्वोच्च आसन पर पहुंचा है। आपका व्यक्तित्व किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए प्रेरणाप्रद है। मैं आशा करता हूं कि आप अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाये रखेंगे, इनकी मानेंगे तो गड़बड़ होगी, मेरी बात मानेंगे तो ठीक रहेगा। मैं माननीय नेता सदन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब कभी चर्चा हुई, प्रश्नकाल, शून्यकाल और जहां पर भी आवश्यकता हुई, वहां पर बोले। एक जो पुरानी परम्परा थी उसका निर्वहन किया। टण्डन जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज की राजनीति में टण्डन जी जैसे लोग बिरले ही मिलते हैं, यह अनुभवी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और सहिष्णु भी हैं तथा सदन के अन्दर हास-परिहास करने की योग्यता रखते हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्हें गुस्सा तो कभी आता ही नहीं है। अगर आया भी होगा तो मुझे दिखा नहीं। अगर मैंने इन्हें कभी गुस्से में देखा होगा तो गुस्से के अन्दर वाला देखा होगा, बाहर वाला नहीं देखा। मैं मंत्रि-परिषद् के माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों ने भरपूर दायित्व का निर्वाह किया। गौर साहब को एक दिन बहुत गुस्सा आया। वैसे उनको गुस्सा आता नहीं है, लेकिन आया तो बहुत जोर से आ गया। हमने पता लगाया तो इलाहाबाद में हमारा मकान, इनके मकान के पीछे ही है। एक दिन गया तो पता चला कि इनकी पत्नी ने होली के लिए फरमाइश रखी थी, उन्होंने बताया कि हो सकता है कि हमारे सामने तो बोलने की हिम्मत न पड़ी हो और वह सदन में बोल गये होंगे। इनका गुस्सा होली के फरमाइश से जोड़कर देखा जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा में एक नये पद का सृजन किया जाय, जब विधान सभा का सत्र नहीं रहेगा तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा और यह पद डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी को दिया जाए। कम से कम परिवारवालों को तो नियम कानून से फुर्सत मिल जायेगी क्योंकि यह सोते समय भी कहते होंगे कि आज नियम-56 में यह सूचना लगानी है, इनकी पत्नी रोज यही सुनती होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह निर्णय आपको लेना है। कार्य-स्थगन के माध्यम से व्यवस्था दे दीजिए कि अगली विधान सभा तक इनको यही बनाये रखा जाय। मा0 हुकुम सिंह जी सदैव सहयोग देते रहे। माननीय उपाध्यक्ष जी, कहना तो नहीं चाहता लेकिन कह देता हूँ, नई-नवेली दुल्हन बन करके उपाध्यक्ष के रूप में आये थे लेकिन इतने कम कार्यकाल में आपने अपने कौशल का भरपूर मुजाहिरा किया है। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ। प्रमुख सचिव, पाण्डेय जी बहुत अच्छे लगते रहे। हमारे बारे में जब अच्छी राय नहीं देते थे तब अच्छे नहीं लगते थे, आखिर भविष्य की तरफ ख्याल रखना है, प्रमुख सचिव जी बहुत अच्छे आदमी हैं। यहां का स्टाफ, मार्शल व सभी लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया रात के 11-12 बजे तक बैठे रहे। विधान सभा के सुरक्षा गार्डों का पद नाम लोक सभा की भांति परिवर्तित करने की बात है तो इनका नाम बदल कर सुरक्षा सहायक कर दिया जाय। इसमें वेतन बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है। आपने जो वायदा किया है वह कार्यवाही में अंकित है, इनका पद नाम बदल दिया जाए। मान्यवर, मैं विशेष रूप से अपने पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यदि लिखा न होता तो हमारी बातें जनता तक न पहुंचतीं। मैं इसी के साथ मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि उनका आदर और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। धन्यवाद।

* ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, यह सदन सिर्फ उन लोगों का ही नहीं है जो यहां सदस्य के रूप में बैठे हैं यह सदन असल में उन लोगों का है जिन्होंने हमको चुनकर हमें भेजा है। आज बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने यह देखा है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने सदन को कितनी अच्छी तरह चलाया है। बहुत जमाने के बाद यहां पर अच्छी तरह डिबेट हुई है चाहे वह शून्य प्रहर रहा हो या कोई अन्य अवसर रहा है बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। यह अपने आप में गौरव की बात है। यहां का सदस्य होना गौरव की बात है। जब हम यहां से बाहर जायेंगे तो जनता कहेगी कि सदस्यगण सदन में हमारे हित की बात करके आये हैं। इससे एक अच्छा संदेश जायेगा। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी लोगों का सहयोग रहा है, मैं उनको अपनी तरफ से और शासन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छे वातावरण में पूरा सदन चला और आगे भी यह परम्परा बरकरार रहे तो एक अच्छा संदेश जायेगा।

* श्री राम स्वरूप सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस, नेता लोक दल, सभी सम्मानित सदस्यगण, अधिकारी और कर्मचारी तथा पत्रकारगण, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह बड़ी खुशी का अवसर है कि विधान सभा का सत्र बहुत अच्छे ढ़ग से चला। यह लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। बहुत मुद्दत के बाद यहां की विधान सभा में यह महसूस हुआ कि लोकतंत्र जिन्दा है और यह परम्परा आगे बढ़ेगी। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और प्रशासन को हिदायत दी जाय कि विपक्ष के विधायकों को उसी तरह का सम्मान दिया जाय जैसे कि सत्तापक्ष के विधायक को दिया जाता है और उनकी सही बात पर अमल किया जाए, तभी सच्चा लोकतंत्र कहलायेगा। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांवों में मिट्टी का तेल कम मिलता है और बिजली भी नहीं मिलती है। मुझे उम्मीद है कि माननीय नेता सदन विधान सभा में इस बात की घोषणा करेंगे कि गांवों को बिजली दी जायेगी। होली का त्योहार आने वाला है होली के पहले कर्मचारियों को होली का खर्चा पिछले साल से बढ़ाकर दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने अभी मुझे इस सम्बन्ध में कहने का अवसर दिया है कि अगले तीन सालों में उत्तर प्रदेश के बचे हुये जितने भी गांव हैं उन सबका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। इसी के साथ-साथ एक मांग जो सुरक्षा कर्मियों का पद नाम लोक सभा सचिवालय के समान सुरक्षा सहायक करने के सम्बन्ध में है, इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं आयेगा। माननीय नेता सदन ने यह घोषणा की है कि यह पद नाम बदल दिया जायगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्मानित नेता सदन, परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाजपार्टी नहीं हैं लेकिन उनकी पार्टी के माननीय सदस्यगण, माननीय नेता कांग्रेस प्रमोद कुमार जी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानीय नेता लोकदल, माननीय नेता भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि विधान सभा के संचालन में आपने अमूल्य सहयोग दिया। यह सही है कि विधान सभा के कार्य संचालन में कठिन दायित्व होता है इस दायित्व का निर्वहन करना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब निर्णय लेने में और सदन को व्यवस्थित करने में काफी कठिनाई होती है। ऐसे अवसरों पर मुझे नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का सहयोग बराबर मिलता रहा है इसलिए मैं उनके प्रति पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ। नेता सदन की उपस्थिति ने सदन में जब माननीय सदस्यों ने गम्भीर प्रश्न उपस्थित किए और हमें लगा कि अब इस प्रश्न का निदान इतनी आसानी से सम्भव नहीं है ऐसे अवसरों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पहुंचकर उन समस्याओं का निदान किया यह इस सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा है।

मैं नेता प्रतिपक्ष को भी और माननीय उप नेता हुकुम सिंह और इनके तमाम माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने सदन के संचालन में हमें कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब हमें यह महसूस हुआ कि हम इसे व्यवस्थित करने में असमर्थ हो जायेंगे तो इनका हमें अमूल्य सहयोग मिला और इस सदन का संचालन करने में हमें सुविधा मिली। मैं नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रति भी आभार प्रकट करूंगा यद्यपि वह सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी सदन के संचालन में सहयोग दिया। मैं श्री प्रमोद कुमार की वाक पटुता और चतुराई का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता उन्होंने अपनी वाक्य पटुता और चतुराई से गम्भीर माहौल को सामान्य बनाने में सहयोग दिया इसके लिए मैं पुनः श्री प्रमोद कुमार के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब कभी माननीय सदस्यों ने गम्भीरता प्रश्न उपस्थित किए तो उन्होंने उसको गम्भीरता से लिया और जो सदस्यों की वाजिब बातें थीं उसको उन्होंने स्वीकार किया और उनका निस्तारण कराया इसलिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता उनके प्रति आभार प्रकट किये बगैर भी नहीं रह सकता। उन्होंने सदन के संचालन में चूंकि उनकी नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है उन्हें कभी-कभी ऐसी स्थितियों से मुकाबला करना पड़ा जब मुझे लगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रतिपक्ष के प्रहार झेलने में कठिनाई हो रही है लेकिन उन्होंने प्रहारों को संभाला और सदन के संचालन में सहयोग दिया मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रमुख सचिव विधान सभा, सुरक्षा कर्मी मार्शल के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी कार्यवाही के हालांकि इस सत्र में ऐसे अवसर आए ही नहीं जिससे मार्शल और उनके कर्मचारियों की उपादेयता होती। मैं पत्रकारों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ उन्होंने संजीदगी से अपना कार्य किया। हम अभी दिल्ली गये थे तो वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि आपकी विधान सभा अच्छी चल रही है तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला तो उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से मुझे पता चला। मैं यह भी घोषणा करता हूँ हमारे जिन पत्रकारों ने अच्छी रिपोर्टिंग की है उनमें से तीन पत्रकारों को आने वाले दिनों में सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहां पर पत्रकारों को बंदिश में कर दिया गया है। नेता सदन ने भी चाहा था, मेरी उनसे बात हुई थी कि इन शीशों को हटा दिया जाय। आपसे भी मेरी वार्ता हुई थी अगर इन्हें इससे रिहाई और छूट मिल जाय।

श्री अध्यक्ष-

अगले सत्र में मिलेंगे तब यह शीशे यहां नहीं रहेंगे।

मैं उपाध्यक्ष जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सदन को बहुत अच्छे ढंग से चलाया जिसकी प्रशंसा माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सभी नेताओं ने की। मैं अधिष्ठाता मण्डल के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस सदन के संचालन में अमूल्य सहयोग देकर सदन को बहुत अच्छे ढंग से चलाकर सदन की गरिमा को बढ़ाया। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से नेता सदन मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय लालजी टण्डन, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता लोकदल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य सभी सदस्यों को अपनी तरफ से आने वाली होली की शुभकामना अग्रेतर देता हूँ और आशा करता हूँ कि जब हम यहां मिलेंगे तो एक नये उत्साह और उमंग से मिलेंगे। यह सही है कि कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसकी आलोचना होती है। लेकिन ऐसे अवसर कम आये। 22 बैठकों में कुछ ही घण्टे हमको सदन को बन्द रखने की आवश्यकता हुई। इसको "अपरोर" कहते हैं लेकिन मैं इसको "अपरोर" न मानकर विधान सभा की जीवन्तता कहता हूं। मैं आशा करता हूँ कि आगे सभी सदस्य व्यवस्थित होकर ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे। हमने भरसक प्रयास किया है कि जो सदस्य कभी न बोल पाये हों उन्हें अवसर दिया जाय अपनी बात कहने का। हमने प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनके क्षेत्रों के काम किन्हीं कठिनाइयों से रुके हैं उनको संसदीय कार्य मंत्री से कह कर नियमों में परिवर्तित कराकर उसको निश्चित अवधि में पूरा कराने का प्रयास किया। इसके लिये मैं सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उसको नियम-51 की सूचना लेकर उस पर कार्यवाही करके सदन में तीसरे दिन अवगत कराया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर होली की बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।

एक दल विशेष के सदस्य द्वारा सदन में उपस्थित रहने किन्तु कार्यवाही में भाग न लेने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना देनी है कि दिनांक 17 मार्च, 2005 को माननीय परिवहन मंत्री श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने एक दल विशेष के सदस्यों के सदन में उपस्थित रहने के तरीके के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय श्री प्रमोद कुमार एवं माननीय श्री जगदम्बिका पाल को सुनने के उपरान्त मैंने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। व्यवस्था के उक्त प्रश्न पर मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है और मैंने उसे अग्राह्य कर दिया है। उक्त निर्णय सदन के आज दिनांक 23 मार्च, 2005 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

यह निर्णय दो तीन पेज का है। पढ़कर सुनाने में समय लगेगा। कार्यवाही में आ जायेगा।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

निष्कर्ष पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन वह अग्राह्य कर दी है। मैं अन्तिम पैरा पढ़ देता हूं। 'मेरे विचार से अब इसमें आगे स्पष्ट करने के लिये कोई बिन्दु नहीं रह गया है और न ही इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त

है। जैसा माननीय श्री नवाब सिंह नागर ने कहा था, मैं 17 मार्च, 2005 की सदन की कार्यवाही को देख लूंगा और उसमें इस प्रकरण में यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। इसी के साथ मैं इस प्रकरण का निस्तारण करता हूं।'

(निर्णय पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 17 मार्च, 2005 को मा0 परिवहन मंत्री, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने सदन में व्यवस्था का एक प्रश्न उठाते हुए यह कहा था कि "सदन की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम-281 में दिया हुआ है कि जो सदस्य सदन में उपस्थित रहेंगे उनके उपस्थित रहने का क्या तरीका होगा। इसी तरह उक्त नियमावली के नियम-280 में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा के सम्बन्ध में प्राविधान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि आज अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक दल विशेष के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि वह सदन में उपस्थित रहेंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। नियमावली में यह चीज स्पष्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको व्यवस्था के रूप में उठाया कि अगर सदस्य उपस्थित होगा और यह कहकर कि हम कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे हम सदन में जायेंगे टी0ए0डी0ए0 व अन्य भत्ते लेंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, इस पर नियमावली में प्राविधान नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या ऐसे सदस्य भत्ता लेने के लिए अधिकृत होंगे। इसी बारे में मा0 श्री प्रमोद कुमार ने यह कहा था कि भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न गणराज्य है यहां का संविधान समता मूलक है। संविधान के अनुच्छेद-19 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार है। यह अधिकार किसी जाति बिरादरी धर्म या लिंग के आधार पर प्रतिबन्धित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा था कि क्या किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों को यह निर्देश दे कि वह मुंह पर पट्टी बांधकर आयें या सदस्य सदन में जायें लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लें।

श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि इसे वह सदन का अपमान मानते हैं। इस पर मा0 नेता विरोधी दल ने कहा था कि क्या किसी दूसरे सदन की किसी घटना का यहां संज्ञान लिया जा सकता है। इसपर मैंने कहा था कि दूसरे सदन की घटना का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। आगे श्री प्रमोद कुमार ने यह भी कहा था कि क्या वाक्-स्वातंत्र्य कुछ लोगों के लिए है या वाक्-स्वातंत्र्य सभी के लिए है। उन्होंने मांग की थी कि वह विधान के अनुच्छेद-19 के संदर्भ में भी स्पष्ट व्याख्या चाहते हैं। मा0 श्री जगदम्बिका पाल ने इस संदर्भ में कहा था कि यह सदन अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का केन्द्र है। लेकिन अगर सदस्यों को बोलने से यहां रोका जाए तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। मा0 श्री प्रमोद कुमार ने सदन में यह भी कहा था कि "मान्यवर, लाबी में बैठकर एक सदस्य दूसरे सदस्य से कह रहा है वहां जाना तो है, बैठना तो है लेकिन बोलना नहीं है। मैंने इस बात को अपने कानों से सुना है।" इसपर मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खां ने अन्य बातों के अतिरिक्त यह मत भी व्यक्त किया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत भारत में रहने वाले व्यक्ति को वाक्-स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक मिला है। अगर कोई व्यक्ति सीधे या छिपे तरीके से किसी को बोलने से रोकता है तो वह सीधे संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो चुनकर इसलिए आए हैं कि वह जनता की समस्याओं को रखें। सरकार के कामों पर टिप्पणी करें और इसके लिए कुदरत ने उन्हें मुंह में जबान दी है बोलने के लिए, कान

दिए हैं सुनने के लिए, मस्तिष्क दिया है राय कायम करने के लिए लेकिन मान्यवर, एक दल के नेता ने जो किया है, जैसा कि आपकी पीठ से जानकारी चाही गई कि यह कैसे मालूम हुआ ? तो हम समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन समाचार पत्र इलेक्ट्रानिक मीडिया हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबुत पाया है। उसी तरह से सदन हमारे लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा है। मैं कहना चाहता हूं हम सदन के संज्ञान में लें या न लें लेकिन उसका संज्ञान लिए बगैर आज की व्यवस्था चल नहीं सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत के बाद पूरी दुनिया का परीक्षण करके कुछ लिखित संविधानों और कुछ रिवायती संविधानों को मद्देनजर रखकर हिन्दुस्तान का संविधान तैयार किया है। मा0 श्री प्रमोद कुमार ने यह भी कहा था कि ब0स0पा0 के माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं किन्तु ब0स0पा0 के कोई सदस्य नहीं बोले थे। तब श्री प्रमोद कुमार ने मुझसे आग्रह किया कि मैं ब0स0पा0 के किसी सदस्य से पूछ लूं कि यह बात सच भी है या नहीं। इस पर मैंने ब0स0पा0 के सदस्य श्री रिजवान अहमद खां से पूछा, "मा0 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी क्या आपके बोलने पर प्रतिबन्ध है ? आप नहीं बोलेंगे, मौन रखेंगे ? इस पर श्री रिजवान अहमद खां ने कहा, "मा0 अध्यक्ष जी, जब जरूरत नहीं है तो बोलने की क्या आवश्यकता है।" उस पर मैंने सदन में कहा था कि, "कहां मुंह बन्द है ?"

इस विषय में मैंने डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं परिवहन मंत्री के भी विचार सूने थे और यह कहा था कि, "आप सब ने इसका और संविधान के अनुच्छेद का उद्धरण देकर वाक्-स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध की बात कही है। मैं कल इस पर विधिवत अपना उत्तर दूंगा। अब मैं इस पर अपना निर्णय दे रहा हूं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद-19(1)(क) में सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार दिया गया है। स्पष्टतया जो व्यक्ति अपने वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रयोग करना चाहेगा तो वह कर सकता है और जो वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रयोग नहीं करना चाहेगा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान के अनुच्छेद-19(1)(क) सदन में उठाये गये प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होता है। सदन में वाक्-स्वातंत्र्य हेतु संविधान के अनुच्छेद-194 में प्राविधान किये गये हैं। अनुच्छेद-194(1) में यह प्राविधान है कि "इस संविधान के उपबन्धों के और विधान-मण्डल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।" इसका भी यही अभिप्राय है कि जो मा0 सदस्य विधान-मण्डल के सदन में वाक्-स्वातंत्र्य का प्रयोग करना चाहेंगे वह कर सकते हैं और जो वाक्-स्वातंत्र्य का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, मेरे पूछने पर मा0 श्री रिजवान अहमद खां ने सदन में उत्तर देकर यह इंगित कर दिया है कि जब बोलने की जरूरत नहीं है तब उसकी क्या आवश्यकता है।

अतः मेरे विचार से अब इसमें आगे स्पष्ट करने के लिए कोई बिन्दु नहीं रह गया है और न ही इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त है। जैसा मा0 श्री नवाब सिंह नागर ने कहा था, मैं 17 मार्च, 2005 की सदन की कार्यवाही को देख लूंगा और उसमें इस प्रकरण में यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। इसी के साथ मैं इस प्रकरण का निस्तारण करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्र-गान होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा।
द्राविड़-उत्कल-बंग।।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ

दिनांक 23 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 111 विधान सभा (189)-29-7-2005-813 (कम्प्यूटर)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा